

दि मध्यप्रदेश स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन लिमिटेड भोपाल
पर्यावास भवन, ब्लॉक नं0 1, द्वितीय तल (ए), जेल रोड, अरेरा हिल्स, भोपाल-462011

क्र0-ई-नीलामी सूचना क्रमांक-रेत/2015/

दिनांक-

रेत खनिज की विस्तृत ई-नीलामी सूचना

प्रबंध संचालक, दि मध्यप्रदेश स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन लिमिटेड, भोपाल के द्वारा, निम्न विवरण के अनुसार निगम में पक्ष में जिला होशंगाबाद, सीहोर, रायसेन, हरदा, देवास, टीकमगढ़, कटनी, उमरिया, जबलपुर, नरसिंहपुर, धार, बडवानी, खरगोन, ग्वालियर, भिण्ड एवं दतिया में स्वीकृत रेत खदानों के समूहों से रेत उठाव एवं बिक्री कराने हेतु पात्र बोलीकर्ताओं से समूहवार "प्रथम वर्ष के प्ररक्षित मूल्य" (upset price) से उच्चतम मूल्य प्राप्त करने हेतु बोली आमंत्रित की जाती हैं। ठेके की अवधि कार्य प्रारंभ करने की तिथि से पाँच वर्ष अथवा 31-03-2020, जो भी पूर्व हो, तक रहेगी। बोली आन-लाईन पोर्टल www.mpeproc.gov.in पर प्रस्तुत की जावेगी। ई-नीलामी आमंत्रण की विस्तृत सूचना, बोलीकर्ताओं को निर्देश, ठेके की समान्य शर्तें, परिशिष्ट (1 से 7 तक) एवं अनुबंध आदि दस्तावेज उपरोक्त वेबसाईट एवं www.mpsmcl.mp.gov.in/tenders.aspx, www.mp.gov.in/tenders_home तथा mpsc.mp.nic.in/e_khanij/AppPrevious/smcsandtender.aspx पर देखे एवं डाउनलोड किए जा सकते हैं। ई-नीलामी की समय सारणी निम्नानुसार है :-

1. प्रथम चरण में ई-नीलामी में रखे जाने वाले समूहों का विवरण

Auction notification and start of payment of earnest money deposit (EMD) - date 18/04/2015 time 10:30 AM
End date and time of payment of EMD - date 05/05/2015 time 5:30 PM

(A) ई-नीलामी का समय प्रातः 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक, दिनांक 08/05/2015

क्र०	उप कार्यालय का नाम	जिला	तहसील	समूहों का नाम	समूहों का कोड	सम्मिलित रेत खदानों की संख्या	रकबा (हे०)	ठेके की प्रथम वर्ष की मात्रा घ०मी०	ठेके के प्रथम वर्ष का प्ररक्षित मूल्य (रु.) (Upset/Reserved Price) मात्रा x 125	अमानत राशि (रु.) (अपसेट प्राईज का 10 प्रतिशत)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	होशंगाबाद	होशंगाबाद	होशंगाबाद	होशंगाबाद-1	SMC0001	1	20.405	150000	18750000	1875000
2	होशंगाबाद	होशंगाबाद	होशंगाबाद	होशंगाबाद-2	SMC0002	1	20.405	150000	18750000	1875000
3	होशंगाबाद	होशंगाबाद	होशंगाबाद	होशंगाबाद-3	SMC0003	1	17.100	175000	21875000	2187500
4	होशंगाबाद	होशंगाबाद	होशंगाबाद	होशंगाबाद-4	SMC0004	1	17.100	175000	21875000	2187500
5	होशंगाबाद	होशंगाबाद	होशंगाबाद	होशंगाबाद-20	SMC0020	2	14.000	350000	43750000	4375000
6	होशंगाबाद	होशंगाबाद	होशंगाबाद	होशंगाबाद-21	SMC0021	1	20.243	200000	25000000	2500000
7	होशंगाबाद	होशंगाबाद	होशंगाबाद	होशंगाबाद-22	SMC0022	1	20.243	200000	25000000	2500000
8	होशंगाबाद	होशंगाबाद	होशंगाबाद	होशंगाबाद-23	SMC0023	1	12.145	120000	15000000	1500000
9	होशंगाबाद	होशंगाबाद	होशंगाबाद	होशंगाबाद-29	SMC0029	1	19.746	125000	15625000	1562500

10	होशंगाबाद	रायसेन	बरेली	बरेली - 1	SMC0049	6	11.470	262000	32750000	3275000	
11	होशंगाबाद	सीहोर	बुधनी	बुधनी - 1	SMC0052	1	20.242	200000	25000000	2500000	
12	होशंगाबाद	सीहोर	बुधनी	बुधनी - 2	SMC0053	1	18.107	180000	22500000	2250000	
13	होशंगाबाद	सीहोर	बुधनी	बुधनी - 3	SMC0054	1	16.667	165000	20625000	2062500	
14	होशंगाबाद	सीहोर	बुधनी	बुधनी- 4	SMC0055	1	20.995	210000	26250000	2625000	
15	होशंगाबाद	सीहोर	रेहटी	रेहटी - 1	SMC0056	1	15.801	160000	20000000	2000000	
16	होशंगाबाद	सीहोर	रेहटी	रेहटी - 2	SMC0057	1	23.000	230000	28750000	2875000	
17	टीकमगढ़	टीकमगढ़	पलेरा	पलेरा -1	SMC0065	4	22.691	390000	48750000	4875000	
18	टीकमगढ़	टीकमगढ़	पलेरा	पलेरा -2	SMC0066	8	17.833	530000	66250000	6625000	
19	टीकमगढ़	टीकमगढ़	जतारा	जतारा -1	SMC0067	5	21.946	308000	38500000	3850000	
20	टीकमगढ़	टीकमगढ़	जतारा	जतारा -2	SMC0068	5	10.572	298000	37250000	3725000	
21	टीकमगढ़	टीकमगढ़	टीकमगढ़	टीकमगढ़ -1	SMC0069	6	12.966	173500	21687500	2168750	
कुल योग								373.677	4751500	593937500	59393750

(B) ई-नीलामी का समय अपराह्न 1 बजे से अपराह्न 3 बजे तक, दिनांक 08/05/2015

क्र०	उप कार्यालय का नाम	जिला	तहसील	समूहों का नाम	समूहों का कोड	सम्मिलित रेत खदानों की संख्या	रकबा (हे०)	ठेके की प्रथम वर्ष की मात्रा घ०मी०	ठेके के प्रथम वर्ष का प्ररक्षित मूल्य (रु.) (Upset/Reserved Price) मात्रा x 125	अमानत राशि (रु.) (अपसेट प्राईज का 10 प्रतिशत)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	कटनी	कटनी	बरही	बरही -1	SMC0078	2	15.370	122960	15370000	1537000
23	कटनी	कटनी	बरही	बरही -2	SMC0079	1	16.150	129200	16150000	1615000
24	कटनी	कटनी	बरही	बरही -3	SMC0080	1	15.000	120000	15000000	1500000
25	कटनी	कटनी	बडवारा	बडवारा - 1	SMC0081	2	19.380	96900	12112500	1211250
26	कटनी	उमरिया	चंदिया	चंदिया	SMC0089	2	6.073	48584	6073000	607300
27	हरदा	हरदा	टिमरनी	टिमरनी - 1	SMC0091	1	15.000	450000	56250000	5625000
28	हरदा	हरदा	टिमरनी	टिमरनी - 2	SMC0092	1	10.000	90000	11250000	1125000
29	हरदा	हरदा	टिमरनी	टिमरनी - 3	SMC0093	1	15.000	170000	21250000	2125000
30	हरदा	हरदा	टिमरनी	टिमरनी - 4	SMC0094	2	23.810	32200	4025000	402500
31	हरदा	देवास	खातेगांव	खातेगांव 1	SMC0103	2	22.000	627000	78375000	7837500
32	हरदा	देवास	खातेगांव	खातेगांव 2	SMC0104	5	16.000	480000	60000000	6000000
33	जबलपुर	नरसिंहपुर	गोटेगांव	गोटेगांव	SMC0108	8	18.332	401000	50125000	5012500
34	जबलपुर	जबलपुर	जबलपुर	जबलपुर	SMC0109	4	11.500	172500	21562500	2156250

35	जबलपुर	जबलपुर	पाटन	पाटन - 01	SMC0110	7	13.800	246000	30750000	3075000	
36	जबलपुर	जबलपुर	पाटन	पाटन - 02	SMC0111	4	12.800	201600	25200000	2520000	
37	जबलपुर	जबलपुर	सिहोरा	सिहोरा	SMC0112	2	4.000	108000	13500000	1350000	
38	जबलपुर	जबलपुर	पनागर	पनागर	SMC0113	3	12.000	234100	29262500	2926250	
39	जबलपुर	जबलपुर	शहपुरा	शहपुरा-1	SMC0114	5	22.390	282000	35250000	3525000	
40	जबलपुर	जबलपुर	शहपुरा	शहपुरा-2	SMC0115	1	22.070	60000	7500000	750000	
41	ग्वालियर	ग्वालियर	डबरा	डबरा - 1	SMC00128	1	24.747	173223	21652875	2165288	
42	ग्वालियर	ग्वालियर	डबरा	डबरा - 2	SMC00129	1	18.770	75080	9385000	938500	
43	ग्वालियर	ग्वालियर	डबरा	डबरा - 3	SMC00130	1	24.240	72720	9090000	909000	
44	ग्वालियर	ग्वालियर	डबरा	डबरा - 4	SMC00131	1	12.232	73392	9174000	917400	
45	ग्वालियर	भिण्ड	भिण्ड	भिण्ड - 3	SMC00141	4	22.670	118350	14793750	1479375	
46	ग्वालियर	भिण्ड	भिण्ड	भिण्ड - 4	SMC00142	1	7.060	26000	3250000	325000	
कुल योग								400.394	4610809	576351125	57635113

(C) ई-नीलामी का समय अपरान्ह 4 बजे से अपरान्ह 6 बजे तक, दिनांक 08/05/2015

क्र०	उप कार्यालय का नाम	जिला	तहसील	समूहों का नाम	समूहों का कोड	सम्मिलित रेत खदानों की संख्या	रकबा (हे०)	ठेके की प्रथम वर्ष की मात्रा घ०मी०	ठेके के प्रथम वर्ष का प्ररक्षित मूल्य (रु.) (Upset/Reserved Price) मात्रा x 125	अमानत राशि (रु.) (अपसेट प्राईज का 10 प्रतिशत)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47	ग्वालियर	भिण्ड	मेहगांव	मेहगांव - 1	SMC00143	2	18.170	205000	25625000	2562500
48	ग्वालियर	भिण्ड	मेहगांव	मेहगांव - 2	SMC00144	2	20.570	205730	25716250	2571625
49	ग्वालियर	भिण्ड	मेहगांव	मेहगांव - 3	SMC00145	2	12.780	127800	15975000	1597500
50	ग्वालियर	भिण्ड	मेहगांव	मेहगांव - 4	SMC00146	1	19.000	190000	23750000	2375000
51	ग्वालियर	भिण्ड	मेहगांव	मेहगांव - 5	SMC00147	3	17.000	174000	21750000	2175000
52	ग्वालियर	भिण्ड	मेहगांव	मेहगांव - 6	SMC00148	2	16.190	112850	14106250	1410625
53	ग्वालियर	भिण्ड	रौन	रौन - 1	SMC00149	1	23.580	94320	11790000	1179000
54	ग्वालियर	भिण्ड	रौन	रौन - 2	SMC00150	3	23.220	116100	14512500	1451250
55	ग्वालियर	भिण्ड	रौन	रौन - 3	SMC00151	2	24.248	172480	21560000	2156000
56	ग्वालियर	दतिया	बड़ौनी	बड़ौनी - 1	SMC00176	1	10.693	32079	4009875	400988
57	ग्वालियर	दतिया	बड़ौनी	बड़ौनी - 2	SMC00177	1	21.000	84000	10500000	1050000
58	ग्वालियर	दतिया	बड़ौनी	बड़ौनी - 3	SMC00178	1	24.900	99600	12450000	1245000
59	ग्वालियर	दतिया	बड़ौनी	बड़ौनी - 4	SMC00179	1	14.358	57400	7175000	717500

60	ग्वालियर	दतिया	बड़ौनी	बड़ौनी - 5	SMC00180	1	16.340	65360	8170000	817000	
61	ग्वालियर	दतिया	बड़ौनी	बड़ौनी - 6	SMC00181	1	23.000	115000	14375000	1437500	
62	ग्वालियर	दतिया	बड़ौनी	बड़ौनी - 7	SMC00182	1	23.000	115000	14375000	1437500	
63	धामनोद	धार	धरमपुरी	धरमपुरी - 1	SMC0196	3	10.832	275000	34375000	3437500	
64	धामनोद	बड़वानी	अंजड़	अंजड़	SMC0199	1	4.000	28000	3500000	350000	
65	धामनोद	खरगोन	महेश्वर	महेश्वर - 1	SMC0201	4	20.000	140000	17500000	1750000	
66	धामनोद	खरगोन	महेश्वर	महेश्वर - 2	SMC0202	3	13.000	127000	15875000	1587500	
67	धामनोद	खरगोन	महेश्वर	महेश्वर - 3	SMC0203	1	15.000	75000	9375000	937500	
68	धामनोद	खरगोन	महेश्वर	महेश्वर - 4	SMC0204	1	14.430	75000	9375000	937500	
69	धामनोद	खरगोन	महेश्वर	महेश्वर - 5	SMC0205	3	11.611	120000	15000000	1500000	
70	धामनोद	खरगोन	महेश्वर	महेश्वर - 6	SMC0206	2	9.000	81000	10125000	1012500	
71	धामनोद	खरगोन	महेश्वर	महेश्वर - 7	SMC0207	1	20.000	100000	12500000	1250000	
72	धामनोद	खरगोन	महेश्वर	महेश्वर - 8	SMC0208	1	21.450	110000	13750000	1375000	
73	धामनोद	खरगोन	महेश्वर	महेश्वर - 9	SMC0209	1	14.154	75000	9375000	937500	
कुल योग								461.526	3172719	396589875	39658988

2. द्वितीय चरण में ई-नीलामी में रखे जाने वाले समूहों का विवरण

Auction notification and start of payment of earnest money deposit (EMD) - date 24/04/2015 time 10:30 AM
 End date and time of payment of EMD - date 11/05/2015 time 5:30 PM

(A) ई-नीलामी का समय प्रातः 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक, दिनांक 14/05/2015

क्र०	उप कार्यालय का नाम	जिला	तहसील	समूहों का नाम	समूहों का कोड	सम्मिलित रेत खदानों की संख्या	रकबा (हे०)	ठेके की प्रथम वर्ष की मात्रा घ०मी०	ठेके के प्रथम वर्ष का प्ररक्षित मूल्य (रु.) (Upset/Reserved Price) मात्रा x 125	अमानत राशि (रु.) (अपसेट प्राईज का 10 प्रतिशत)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	होशंगाबाद	होशंगाबाद	बावई	बावई - 1	SMC0030	1	20.242	450000	56250000	5625000
2	होशंगाबाद	होशंगाबाद	बावई	बावई - 2	SMC0031	3	9.405	282150	35268750	3526875
3	होशंगाबाद	होशंगाबाद	बावई	बावई - 3	SMC0032	1	17.000	255000	31875000	3187500
4	होशंगाबाद	होशंगाबाद	बावई	बावई - 4	SMC0033	1	23.000	345000	43125000	4312500
5	होशंगाबाद	होशंगाबाद	बावई	बावई - 5	SMC0034	1	18.000	270000	33750000	3375000
6	होशंगाबाद	होशंगाबाद	बावई	बावई - 6	SMC0035	1	24.000	360000	45000000	4500000
7	होशंगाबाद	होशंगाबाद	बावई	बावई - 7	SMC0036	1	15.000	150000	18750000	1875000
8	होशंगाबाद	होशंगाबाद	बावई	बावई - 8	SMC0037	1	15.000	150000	18750000	1875000
9	होशंगाबाद	होशंगाबाद	बावई	बावई - 9	SMC0038	1	15.000	150000	18750000	1875000

10	होशंगाबाद	रायसेन	उदयपुरा	उदयपुरा -1	SMC0050	5	14.163	280000	35000000	3500000	
11	होशंगाबाद	सीहोर	रेहटी	रेहटी - 3	SMC0058	1	23.000	230000	28750000	2875000	
12	होशंगाबाद	सीहोर	रेहटी	रेहटी- 4	SMC0059	1	23.247	230000	28750000	2875000	
13	होशंगाबाद	सीहोर	रेहटी	रेहटी- 5	SMC0060	1	24.000	240000	30000000	3000000	
14	होशंगाबाद	सीहोर	रेहटी	रेहटी-6	SMC0061	3	18.233	180000	22500000	2250000	
15	होशंगाबाद	सीहोर	रेहटी	रेहटी- 7	SMC0062	2	24.500	245000	30625000	3062500	
16	होशंगाबाद	सीहोर	रेहटी	रेहटी - 8	SMC0063	1	12.140	120000	15000000	1500000	
17	टीकमगढ़	टीकमगढ़	टीकमगढ़	टीकमगढ़ -2	SMC0070	5	12.982	210000	26250000	2625000	
18	टीकमगढ़	टीकमगढ़	लिधौरा	लिधौरा	SMC0071	7	16.650	387500	48437500	4843750	
19	टीकमगढ़	टीकमगढ़	मोहनगढ़	मोहनगढ़	SMC0072	10	15.292	408000	51000000	5100000	
20	टीकमगढ़	टीकमगढ़	बल्देवगढ़	बल्देवगढ़	SMC0073	4	7.153	201000	25125000	2512500	
21	कटनी	कटनी	बडवारा	बडवारा - 2	SMC0082	2	23.220	185760	23220000	2322000	
कुल योग								371.227	5329410	666176250	66617625

(B) ई-नीलामी का समय अपरान्ह 1 बजे से अपरान्ह 3 बजे तक, दिनांक 14/05/2015

क्र०	उप कार्यालय का नाम	जिला	तहसील	समूहों का नाम	समूहों का कोड	सम्मिलित रेत खदानों की संख्या	रकबा (हे०)	ठेके की प्रथम वर्ष की मात्रा घ०मी०	ठेके के प्रथम वर्ष का प्ररक्षित मूल्य (रु.) (Upset/Reserved Price) मात्रा x 125	अमानत राशि (रु.) (अपसेट प्राईज का 10 प्रतिशत)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	कटनी	कटनी	बडवारा	बडवारा - 3	SMC0083	3	23.750	190000	23750000	2375000
23	कटनी	कटनी	बडवारा	बडवारा - 4	SMC0084	1	10.000	80000	10000000	1000000
24	कटनी	कटनी	विजयराघवगढ़	विजयराघवगढ़ 1	SMC0085	2	20.295	162360	20295000	2029500
25	कटनी	उमरिया	मानपुर	मानपुर	SMC0090	1	4.049	40490	5061250	506125
26	हरदा	हरदा	हंडिया	हंडिया - 1	SMC0095	1	10.000	80000	10000000	1000000
27	हरदा	हरदा	हंडिया	हंडिया - 2	SMC0096	1	13.000	390000	48750000	4875000
28	हरदा	हरदा	हंडिया	हंडिया - 3	SMC0097	1	14.000	420000	52500000	5250000
29	हरदा	हरदा	हंडिया	हंडिया - 4	SMC0098	1	20.000	50000	6250000	625000
30	हरदा	देवास	खातेगांव	खातेगांव 3	SMC0105	5	16.270	412000	51500000	5150000
31	हरदा	देवास	खातेगांव	खातेगांव 4	SMC0106	6	11.400	315000	39375000	3937500
32	जबलपुर	जबलपुर	शहपुरा	शहपुरा-3	SMC0116	1	22.070	60000	7500000	750000
33	जबलपुर	जबलपुर	शहपुरा	शहपुरा-4	SMC0117	2	19.300	90000	11250000	1125000
34	जबलपुर	जबलपुर	शहपुरा	शहपुरा-5	SMC0118	1	13.370	25000	3125000	312500

35	जबलपुर	जबलपुर	शहपुरा	शहपुरा-6	SMC0119	1	13.370	25000	3125000	312500
36	जबलपुर	जबलपुर	शहपुरा	शहपुरा-7	SMC0120	1	24.450	70000	8750000	875000
37	जबलपुर	जबलपुर	शहपुरा	शहपुरा-8	SMC0121	1	22.340	30000	3750000	375000
38	ग्वालियर	ग्वालियर	डबरा	डबरा - 5	SMC00132	1	10.000	40000	5000000	500000
39	ग्वालियर	ग्वालियर	डबरा	डबरा - 6	SMC00133	1	21.940	131640	16455000	1645500
40	ग्वालियर	ग्वालियर	डबरा	डबरा - 7	SMC00134	1	10.730	42920	5365000	536500
41	ग्वालियर	ग्वालियर	डबरा	डबरा - 8	SMC00135	1	21.160	84800	10600000	1060000
42	ग्वालियर	भिण्ड	रौन	रौन - 4	SMC00152	1	24.000	120000	15000000	1500000
43	ग्वालियर	भिण्ड	रौन	रौन - 5	SMC00153	1	12.750	63750	7968750	796875
44	ग्वालियर	भिण्ड	रौन	रौन - 6	SMC00154	1	24.730	123650	15456250	1545625
45	ग्वालियर	भिण्ड	रौन	रौन - 7	SMC00155	1	20.140	201400	25175000	2517500
46	ग्वालियर	भिण्ड	रौन	रौन - 8	SMC00156	1	24.400	240000	30000000	3000000
कुल योग							427.514	3488010	436001250	43600125

(C) ई-नीलामी का समय अपरान्ह 4 बजे से अपरान्ह 6 बजे तक, दिनांक 14/05/2015

क्र०	उप कार्यालय का नाम	जिला	तहसील	समूहों का नाम	समूहों का कोड	सम्मिलित रेत खदानों की संख्या	रकबा (हे०)	ठेके की प्रथम वर्ष की मात्रा घ०मी०	ठेके के प्रथम वर्ष का प्ररक्षित मूल्य (रू.) (Upset/Reserved Price) मात्रा x 125	अमानत राशि (रू.) (अपसेट प्राईज का 10 प्रतिशत)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47	ग्वालियर	भिण्ड	रौन	रौन - 9	SMC00157	2	21.860	79580	9947500	994750
48	ग्वालियर	भिण्ड	रौन	रौन - 10	SMC00158	1	19.000	57000	7125000	712500
49	ग्वालियर	भिण्ड	रौन	रौन - 11	SMC00159	1	19.000	57000	7125000	712500
50	ग्वालियर	भिण्ड	रौन	रौन - 12	SMC00160	2	20.417	149385	18673125	1867313
51	ग्वालियर	भिण्ड	रौन	रौन - 13	SMC00161	1	21.102	211020	26377500	2637750
52	ग्वालियर	भिण्ड	रौन	रौन - 14	SMC00162	1	16.120	161200	20150000	2015000
53	ग्वालियर	भिण्ड	रौन	रौन - 15	SMC00163	1	13.340	133400	16675000	1667500
54	ग्वालियर	दतिया	बड़ौनी	बड़ौनी - 8	SMC00183	1	23.000	115000	14375000	1437500
55	ग्वालियर	दतिया	बड़ौनी	बड़ौनी - 9	SMC00184	1	23.000	115000	14375000	1437500
56	ग्वालियर	दतिया	बड़ौनी	बड़ौनी - 10	SMC00185	1	24.094	120470	15058750	1505875
57	ग्वालियर	दतिया	सेवड़ा	सेवड़ा - 1	SMC00186	1	8.000	120000	15000000	1500000
58	ग्वालियर	दतिया	सेवड़ा	सेवड़ा - 2	SMC00187	1	19.200	192200	24025000	2402500
59	ग्वालियर	दतिया	सेवड़ा	सेवड़ा - 3	SMC00188	1	21.100	211000	26375000	2637500
60	ग्वालियर	दतिया	सेवड़ा	सेवड़ा - 4	SMC00189	1	15.800	158000	19750000	1975000

61	धामनोद	धार	धरमपुरी	धरमपुरी – 2	SMC0197	5	18.000	450000	56250000	5625000
62	धामनोद	बड़वानी	ठीकरी	ठीकरी	SMC0200	2	8.000	92000	11500000	1150000
63	धामनोद	खरगोन	महेश्वर	महेश्वर – 10	SMC0210	1	15.000	75000	9375000	937500
64	धामनोद	खरगोन	महेश्वर	महेश्वर – 11	SMC0211	2	8.000	74000	9250000	925000
65	धामनोद	खरगोन	महेश्वर	महेश्वर – 12	SMC0212	1	11.617	138000	17250000	1725000
66	धामनोद	खरगोन	महेश्वर	महेश्वर – 13	SMC0213	1	12.000	138000	17250000	1725000
67	धामनोद	खरगोन	महेश्वर	महेश्वर – 14	SMC0214	2	20.174	241500	30187500	3018750
68	धामनोद	खरगोन	महेश्वर	महेश्वर – 15	SMC0215	4	24.526	224500	28062500	2806250
69	धामनोद	खरगोन	महेश्वर	महेश्वर – 16	SMC0216	3	17.652	207000	25875000	2587500
70	धामनोद	खरगौन	कसरावद	कसरावद –1	SMC0217	4	24.668	182000	22750000	2275000
71	धामनोद	खरगौन	कसरावद	कसरावद –2	SMC0218	1	13.139	92500	11562500	1156250
कुल योग							437.809	3794755	474344375	47434438

3. तृतीय चरण में ई-नीलामी में रखे जाने वाले समूहों का विवरण

Auction notification and start of payment of earnest money deposit (EMD) - date 01/05/2015 time 10:30 AM
End date and time of payment of EMD - date 18/05/2015 time 5:30 PM

(A) ई-नीलामी का समय प्रातः 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक, दिनांक 21/05/2015

क्र०	उप कार्यालय का नाम	जिला	तहसील	समूहों का नाम	समूहों का कोड	सम्मिलित रेत खदानों की संख्या	रकबा (हे०)	ठेके की प्रथम वर्ष की मात्रा घ०मी०	ठेके के प्रथम वर्ष का प्ररक्षित मूल्य (रु.) (Upset/Reserved Price) मात्रा x 125	अमानत राशि (रु.) (अपसेट प्राईज का 10 प्रतिशत)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	होशंगाबाद	होशंगाबाद	बावई	बावई - 10	SMC0039	1	15.490	150000	18750000	1875000
2	होशंगाबाद	होशंगाबाद	बावई	बावई - 13	SMC0042	1	20.242	500000	62500000	6250000
3	होशंगाबाद	होशंगाबाद	बावई	बावई - 14	SMC0043	4	20.000	600000	75000000	7500000
4	होशंगाबाद	होशंगाबाद	इटारसी	इटारसी - 1	SMC0044	5	18.820	559600	69950000	6995000
5	होशंगाबाद	होशंगाबाद	पिपरिया	पिपरिया - 1	SMC0045	4	9.809	282000	35250000	3525000
6	होशंगाबाद	होशंगाबाद	बनखेड़ी	बनखेड़ी - 1	SMC0046	2	12.000	320000	40000000	4000000
7	होशंगाबाद	होशंगाबाद	सिवनी मालवा	सिवनी मालवा 1	SMC0047	3	10.000	268000	33500000	3350000
8	होशंगाबाद	होशंगाबाद	सिवनी मालवा	सिवनी मालवा 2	SMC0048	5	7.332	213000	26625000	2662500
9	होशंगाबाद	रायसेन	उदयपुरा	उदयपुरा -2	SMC0051	5	11.735	250000	31250000	3125000
10	होशंगाबाद	सीहोर	नसरुल्लागंज	नसरुल्लागंज-1	SMC0064	1	23.170	230000	28750000	2875000

11	होशंगाबाद	सीहोर	नसरुल्लागंज	नसरुल्लागंज-2	SMC0228	2	24.000	240000	30000000	3000000	
12	होशंगाबाद	सीहोर	नसरुल्लागंज	नसरुल्लागंज-3	SMC0229	1	19.341	190000	23750000	2375000	
13	होशंगाबाद	सीहोर	नसरुल्लागंज	नसरुल्लागंज-4	SMC0230	2	20.032	200000	25000000	2500000	
14	होशंगाबाद	सीहोर	नसरुल्लागंज	नसरुल्लागंज-5	SMC0231	2	14.100	140000	17500000	1750000	
15	टीकमगढ़	टीकमगढ़	खरगापुर	खरगापुर	SMC0074	2	3.000	84000	10500000	1050000	
16	टीकमगढ़	टीकमगढ़	पृथ्वीपुर	पृथ्वीपुर	SMC0075	8	20.838	509000	63625000	6362500	
17	टीकमगढ़	टीकमगढ़	निवाड़ी	निवाड़ी	SMC0076	8	19.675	377000	47125000	4712500	
कुल योग								269.584	5112600	639075000	63907500

(B) ई-नीलामी का समय अपरान्ह 1 बजे से अपरान्ह 3 बजे तक, दिनांक 21/05/2015

क्र0	उप कार्यालय का नाम	जिला	तहसील	समूहों का नाम	समूहों का कोड	सम्मिलित रेत खदानों की संख्या	रकबा (हे0)	ठेके की प्रथम वर्ष की मात्रा घ0मी0	ठेके के प्रथम वर्ष का प्ररक्षित मूल्य (रू.) (Upset/Reserved Price) मात्रा x 125	अमानत राशि (रू.) (अपसेट प्राईज का 10 प्रतिशत)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	टीकमगढ़	टीकमगढ़	ओरछा	ओरछा	SMC0077	7	17.379	399000	49875000	4987500
19	कटनी	कटनी	विजयराघवगढ़	विजयराघवगढ़ 2	SMC0086	2	22.000	176000	22000000	2200000
20	कटनी	कटनी	विजयराघवगढ़	विजयराघवगढ़ 3	SMC0087	4	22.030	176240	22030000	2203000
21	कटनी	कटनी	ढीमरखेड़ा	ढीमरखेड़ा	SMC0088	3	6.590	32950	4118750	411875
22	हरदा	हरदा	हंडिया	हंडिया - 5	SMC0099	3	20.000	500000	62500000	6250000
23	हरदा	हरदा	हंडिया	हंडिया - 6	SMC0100	1	21.000	200000	25000000	2500000
24	हरदा	हरदा	हंडिया	हंडिया - 7	SMC0101	1	22.000	112000	14000000	1400000
25	हरदा	हरदा	हंडिया	हंडिया - 8	SMC0102	1	10.000	220000	27500000	2750000
26	हरदा	देवास	खातेगांव	खातेगांव 5	SMC0107	3	14.820	423000	52875000	5287500
27	जबलपुर	जबलपुर	शहपुरा	शहपुरा-9	SMC0122	1	22.340	30000	3750000	375000
28	जबलपुर	जबलपुर	शहपुरा	शहपुरा-10	SMC0123	1	13.450	60000	7500000	750000
29	जबलपुर	जबलपुर	शहपुरा	शहपुरा-11	SMC0124	1	14.920	40000	5000000	500000
30	जबलपुर	जबलपुर	शहपुरा	शहपुरा-12	SMC0125	1	14.920	40000	5000000	500000

31	जबलपुर	जबलपुर	शहपुरा	शहपुरा-13	SMC0126	1	12.785	25000	3125000	312500
32	जबलपुर	जबलपुर	शहपुरा	शहपुरा-14	SMC0127	1	12.785	25000	3125000	312500
33	ग्वालियर	ग्वालियर	भितरवार	भितरवार - 1	SMC00136	1	17.456	87280	10910000	1091000
34	ग्वालियर	ग्वालियर	भितरवार	पलायछा - 1	SMC00137	1	24.000	175231	21903875	2190388
35	ग्वालियर	ग्वालियर	भितरवार	गधौटा / कुपेडा	SMC00138	1	17.456	69824	8728000	872800
36	ग्वालियर	दतिया	सेवढा	सेवढा - 5	SMC00190	1	22.600	226000	28250000	2825000
37	ग्वालियर	दतिया	सेवढा	सेवढा - 6	SMC00191	1	15.000	150000	18750000	1875000
38	ग्वालियर	दतिया	सेवढा	सेवढा - 7	SMC00192	1	16.250	162000	20250000	2025000
39	ग्वालियर	दतिया	इंदरगढ	इंदरगढ - 1	SMC00193	1	8.010	80100	10012500	1001250
40	ग्वालियर	दतिया	इंदरगढ	इंदरगढ - 2	SMC00194	1	20.000	60000	7500000	750000
कुल योग							387.791	3469625	433703125	43370313

(C) ई-नीलामी का समय अपराह्न 4 बजे से अपराह्न 6 बजे तक, दिनांक 21/05/2015

क्र०	उप कार्यालय का नाम	जिला	तहसील	समूहों का नाम	समूहों का कोड	सम्मिलित रेत खदानों की संख्या	रकबा (हे०)	ठेके की प्रथम वर्ष की मात्रा घ०मी०	ठेके के प्रथम वर्ष का प्ररक्षित मूल्य (रु.) (Upset/Reserved Price) मात्रा x 125	अमानत राशि (रु.) (अपसेट प्राईज का 10 प्रतिशत)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	ग्वालियर	दतिया	इंदरगढ़	इंदरगढ़ - 3	SMC0195	1	19.830	59490	7436250	743625
42	ग्वालियर	भिण्ड	रौन	रौन - 16	SMC00164	1	13.930	59580	7447500	744750
43	ग्वालियर	भिण्ड	मिहोना	मिहोना - 1	SMC00165	1	13.510	135100	16887500	1688750
44	ग्वालियर	भिण्ड	मिहोना	मिहोना - 2	SMC00166	1	17.650	88250	11031250	1103125
45	ग्वालियर	भिण्ड	मिहोना	मिहोना - 3	SMC00167	1	15.210	75600	9450000	945000
46	ग्वालियर	भिण्ड	मिहोना	मिहोना - 4	SMC00168	1	14.710	73350	9168750	916875
47	ग्वालियर	भिण्ड	मिहोना	मिहोना - 5	SMC00169	1	24.900	61540	7692500	769250
48	ग्वालियर	भिण्ड	मिहोना	मिहोना - 6	SMC00170	1	18.230	54690	6836250	683625
49	ग्वालियर	भिण्ड	मिहोना	मिहोना - 7	SMC00171	1	11.680	35040	4380000	438000
50	ग्वालियर	भिण्ड	मिहोना	मिहोना - 8	SMC00172	1	15.850	47550	5943750	594375
51	ग्वालियर	भिण्ड	लहार	लहार - 1	SMC00173	1	23.810	238100	29762500	2976250
52	ग्वालियर	भिण्ड	लहार	लहार - 2	SMC00174	1	9.000	90000	11250000	1125000
53	ग्वालियर	भिण्ड	लहार	लहार - 3	SMC00175	6	23.647	236905	29613125	2961313
54	धामनोद	धार	मनावर	मनावर - 1	SMC0198	3	12.000	84000	10500000	1050000

55	धामनोद	खरगौन	कसरावद	कसरावद -3	SMC0219	1	21.928	154000	19250000	1925000	
56	धामनोद	खरगौन	कसरावद	कसरावद -4	SMC0220	5	11.272	143000	17875000	1787500	
57	धामनोद	खरगौन	कसरावद	कसरावद -5	SMC0221	1	14.990	150000	18750000	1875000	
58	धामनोद	खरगौन	बड़वाह (सनावद)	बड़वाह - 1	SMC0222	1	20.551	51000	6375000	637500	
59	धामनोद	खरगौन	बड़वाह (सनावद)	बड़वाह - 2	SMC0223	1	20.000	49500	6187500	618750	
60	धामनोद	खरगौन	बड़वाह (सनावद)	बड़वाह - 3	SMC0224	1	20.000	49500	6187500	618750	
61	धामनोद	खरगौन	बड़वाह (सनावद)	बड़वाह - 4	SMC0225	2	11.780	122500	15312500	1531250	
62	धामनोद	खरगौन	बड़वाह	बड़वाह - 5	SMC0226	4	19.416	218500	27312500	2731250	
63	धामनोद	खरगौन	बड़वाह	बड़वाह - 6	SMC0227	4	20.097	230000	28750000	2875000	
कुल योग								393.991	2507195	313399375	31339938

रिमाक :- End date and time of online auction shall be subject to condition no. 6.3

अन्य जानकारी :-

1. बोलीकर्ता को सर्वप्रथम आन लाइन पंजीयन www.mpeproc.gov.in पोर्टल पर करना होगा जिसकी फीस रू0 500 /- (सर्विस टैक्स अतिरिक्त) देय होगी जिसके आधार पर बोलीकर्ता खनिज निगम की ई-नीलामी प्रक्रिया में भाग ले सकता है । यह रजिस्ट्रेशन कभी भी कराया जा सकता है तथा इस रजिस्ट्रेशन के पश्चात बोलीकर्ता म.प्र. शासन के किसी भी ई-निविदा या ई-नीलामी प्रक्रिया में पूरे वर्ष भाग ले सकता है।
2. प्रोसेसिंग फीस जो कि आरक्षित मूल्य के आधार पर रू0 250 से 1300 /-(सर्विस टैक्स अतिरिक्त) के बीच होगी, का भी ई-पेमेंट के द्वारा बोलीकर्ता को भुगतान करना होगा।
3. अमानत राशि – ठेके की अमानत राशि आरक्षित मूल्य (upset Price) का 10% (दस प्रतिशत) निर्धारित की गई है जिसे निर्धारित प्रक्रिया अनुसार सिस्टम द्वारा उत्पन्न चालान के माध्यम से NEFT/RTGS (बैंक प्रभार अतिरिक्त जमा करना होगा) के द्वारा भुगतान करना होगा।
4. बोलीकर्ता वेबसाइट www.mpeproc.gov.in पोर्टल पर लॉग-इन करके रजिस्ट्रेशन फीस, प्रोसेसिंग फीस एवं अमानत राशि जमा करके नीलामी में भाग ले सकेगा। बोलीकर्ता स्वयं यह समाधान कर लें कि वह आन लाइन बोली प्रस्तुत करने हेतु निर्धारित पात्रता रखता है। *निर्धारित पात्रता न होने पर अनुबंध के समय बोलीकर्ता की बोली निरस्त कर अमानत राशि समपद्धत की जावेगी।*

5. ई-नीलामी प्रक्रिया हेतु पोर्टल में पंजीयन, भुगतान प्रक्रिया तथा ई-नीलामी प्रक्रिया का प्रशिक्षण –

बोलीकर्ता ई-नीलामी प्रक्रिया हेतु पोर्टल में पंजीयन करने, भुगतान प्रक्रिया तथा ई-नीलामी प्रक्रिया का प्रशिक्षण प्राप्त करने एवं तत्संबंधी जानकारी प्राप्त करने हेतु ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल के हेल्प डेस्क फोन नं0 18002588684 (टोल फ्री) पर किसी भी कार्य दिवस में प्रातः 10.00 बजे से सायं 7.00 बजे तक संपर्क कर सकते हैं। साथ ही ई-मेल आई.डी. eproc_helpdesk@mpsdc.gov.in पर अपनी पृच्छा कर सकते हैं।

6. आन लाइन बोली की प्रक्रिया –

- 6.1 आन लाइन बोली निर्धारित तिथि एवं समय पर प्रारंभ होगी।
- 6.2 बोलीकर्ता उच्चतम बोली को ऑन-लाइन अवलोकन कर सकेंगे तथा न्यूनतम रू0 50,000 /- या उसके गुणांक (multiples) में उससे उच्च बोली लगा सकेंगे।
- 6.3 बोली समाप्त होने के 10 मिनट के अंदर यदि कोई बोली प्राप्त होती है तो बोली के समय में स्वतः 10 मिनट की वृद्धि हो जाएगी एवं इसी प्रकार वृद्धि होती रहेगी जब तक अंतिम बोली प्राप्त न हो जाए।

7 रेत खनिज हेतु निगम की ई-नीलामी की प्रक्रिया संबंधी निर्देश

- 7.1 बोलीकर्ता को सर्वप्रथम ऑन-लाइन पंजीयन www.mpeproc.gov.in पोर्टल पर करना होगा जिसकी फीस रू0 500/- (सर्विस टैक्स अतिरिक्त) देय होगी।
- 7.2 www.mpeproc.gov.in पर क्लिक करने पर एक विंडो ओपन होगी। इस विंडो में आपसे यूजर नेम एवं पासवर्ड मांगा जायेगा। चूंकि आप नये यूजर हैं, ऐसी स्थिति में आपको न्यू यूजर के आप्शन पर क्लिक करना होगा।
- 7.3 न्यू यूजर के आप्शन पर क्लिक करने से एक नई विंडो ओपन होगी, जिसमें दर्शाये गये विवरण को दर्ज करना होगा। सम्पूर्ण विवरण दर्ज करने के पश्चात् आपको नियम तथा शर्तों को स्वीकार करना होगा तथा विंडो में दर्शित केष्या को दर्ज कर अपना पंजीयन कराना होगा। विंडों में पोर्टल शुल्क के रूप में आपसे रूपये 500/- (सर्विस टैक्स अतिरिक्त) का भुगतान इसी प्रक्रिया में किया जाना होगा।
- 7.4 इस प्रक्रिया को पूर्ण करने पर पोर्टल के विंडो पर आपके द्वारा किया गया पंजीयन सफलतापूर्वक किया गया है, इसका संदेश प्राप्त होगा। आप यदि चाहें तो इसका प्रिंट आउट भी प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार किया गया पंजीयन एक वर्ष के लिए वैध होगा।
- 7.5 उपरोक्त प्रक्रिया के उपरांत आपको सिस्टम द्वारा उत्पन्न यूजर आईडी एवं पासवर्ड प्राप्त होगा। आप इस पासवर्ड को ऑन-लाइन पोर्टल पर परिवर्तित भी कर सकते हैं। इस यूजर आईडी एवं पासवर्ड का उपयोग नीलामी की प्रक्रिया में भाग लेने के लिए कर सकेंगे। इस पासवर्ड को सुरक्षित एवं गोपनीय रखने की पूर्ण जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी।
- 7.6 www.mpeproc.gov.in पोर्टल पर यूजर आईडी तथा पासवर्ड भरने के पश्चात एक्टिविटी वाले कॉलम में आपको "आक्शन" का चयन करना होगा।

8 ई-नीलामी में भाग लेने के पूर्व की प्रक्रिया

- 8.1 ई-नीलामी की सूचना म0प्र0 स्टेट माइनिंग कार्पोरेशन लि. द्वारा जारी की जायेगी। इस सूचना में खदानों की सम्पूर्ण जानकारी के साथ प्ररक्षित मूल्य भी दर्शित की जायेगी। यह सूचना नीलाम दिवस के 21 दिवस पूर्व 2 राष्ट्रीय एवं 4 मध्यप्रदेश के दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित की जायेगी। इस सूचना में खदान की ई-नीलामी किये जाने का दिनांक एवं इसके प्रारंभ होने तथा समाप्त होने का समय अंकित किया जायेगा।
- 8.2 ई-नीलामी की सूचना www.mpeproc.gov.in, www.mpsmcl.mp.gov.in/tenders.aspx, mpsc.mp.nic.in/e_khanij/AppPrevious/smcsandtender.aspx एवं www.mp.gov.in/tenders_home पोर्टल में नीलामी के 21 दिवस पूर्व प्रदर्शित होने लगेगी।
- 8.3 सूचना प्रदर्शित होने के पश्चात जिस भी समूह के लिए बोलीकर्ता ई-नीलामी में भाग लेने के लिए इच्छुक है उस समूह का चयन पोर्टल पर इच्छुक समूह को

करना होगा। चयनित समूह की ई-नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने के लिए विंडो में दर्शित शर्तों के पालन की स्वीकार्यता ऑनलाइन की जानी होगी। स्वीकार्यता होने पर प्ररक्षित मूल्य के 10 प्रतिशत की राशि (अमानत राशि) के भुगतान का आग्रह विंडो में प्रदर्शित होगा।

- 8.4 अमानत राशि (EMD) का ऑनलाइन भुगतान सिस्टम द्वारा चालान के माध्यम से आरटीजीएस/एनआईएफटी के माध्यम से किया जा सकेगा।
- 8.5 अमानत राशि का भुगतान नीलाम दिवस के दो दिन पूर्व तक किया जा सकेगा।

9. ई-ऑक्शन की प्रक्रिया-

- 9.1 नीलामी की सूचना में दर्शित समय के पूर्व इच्छुक बोलीकर्ता को www.mpeproc.gov.in पोर्टल में पंजीयन के समय प्राप्त यूजर आईडी एवं पासवर्ड दर्ज करके प्रविष्टि करना होगा।
- 9.2 पोर्टल में प्रविष्टि उपरांत एक्टिविटी विंडो में क्लिक करना होगा। इस विंडो में क्लिक करने के उपरांत आपको " auction " का चयन करना होगा।
- 9.3 Auction मोड के चयन उपरांत आपको खनिज निगम (Mining Corporation) का चयन करना होगा।
- 9.4 खनिज निगम (Mining Corporation) के चयन करने पर नीलाम में प्रदर्शित समूहों की सूची विंडो में दर्शित होगी।
- 9.5 समूहों की सूची में से जिस समूह या समूहों की बोली लगाये जाने के लिये आपके द्वारा अमानत राशि जमा की गई है, उनका चयन करना होगा।
- 9.6 म.प्र. स्टेट माइनिंग कार्पोरेशन लि. के किसी भी समूह की बोली रु. 50,000/- या रु. 50,000 के गुणांकों में बढ़ाई जा सकेगी।
- 9.7 प्रत्येक बोलीदार के कम्प्यूटर के विंडो पर अन्य बोलीदारों की सर्वोच्च बोली ही प्रदर्शित होगी। उनकी पहचान पूर्णतः गोपनीय होगी।
- 9.8 बोली हेतु निर्धारित समयावधि की समाप्ति के पूर्व यदि उच्चतम बोली प्राप्त होती है तब नीलामी का समय 10 मिनट स्वतः बढ़ जायेगा। यह प्रक्रिया निरंतर चलेगी। यदि इस प्रक्रिया में उच्चतम बोली लगाये जाने के 10 मिनट उपरांत कोई बोली प्राप्त नहीं होती तब यह बोली अंतिम मान्य होगी तथा उस खदान की ई-नीलामी की प्रक्रिया स्वतः समाप्त हो जायेगी। इसकी सूचना समस्त बोलीदारों के कम्प्यूटर पर प्रदर्शित होगी तथा इसकी सूचना रजिस्टर्ड मोबाइल नम्बर पर दी जायेगी।

- 9.9 सफलतम बोलीकर्ता को सर्वोच्च बोली की सूचना पंजीकृत ई-मेल एवं पंजीकृत मोबाईल नम्बर पर प्रेषित की जायेगी। म.प्र. स्टेट माइनिंग कार्पोरेशन लि. मुख्यालय भोपाल द्वारा उच्चतम बोली स्वीकार्य होने पर नियमानुसार ठेके का अनुमोदन एवं अनुबंध निष्पादन संबंधी आगामी कार्यवाही की जायेगी। यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि उच्चतम बोलीदार को सर्वोच्च बोली की सूचना प्राप्त होने का आशय बोली स्वीकृत होना नहीं है। बोली स्वीकृत होने की सूचना बोलीकर्ता को प्रथक से दी जावेगी।
- 10 मध्यप्रदेश शासन की वेबसाईट www.mpeproc.gov.in में रेत खनिज की ई-नीलामी मार्गदर्शिका उपलब्ध है, तदानुसार वर्णित प्रक्रिया का अनुपालन करते हुये, बोलीकर्ता ई-नीलामी में भाग ले सकेंगे।

प्रबंध संचालक

दि मध्यप्रदेश स्टेट माइनिंग कारपोरेशन लिमिटेड भोपाल


पर्यावास भवन, ब्लॉक नं0 1, द्वितीय तल (ए), जेल रोड, अरेरा हिल्स, भोपाल-462011

बोलीकर्ताओं को निर्देश

1- कार्य का विवरण -

- 1.1 **कार्य का स्वरूप:** म0प्र0 स्टेट माइनिंग कारपोरेशन लि0 को मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों में रेत खदानें स्वीकृत हैं। इन जिलों की संबंधित तहसीलों के अंतर्गत स्वीकृत रेत खदानों को विभिन्न समूहों में बांटा गया है जिनका विवरण संलग्न परिशिष्ट-1 में दिया गया है। इन समूहों से रेत उठाव एवं बिक्री कराने हेतु भिन्न-भिन्न तिथियों में आनलाईन बोली आमंत्रित की जा रही है जिनका प्रचार-प्रसार विभिन्न समाचार पत्रों में किया गया है एवं यथा समय किया जाएगा तथा विस्तृत विवरण वेब साइट www.mpeproc.gov.in, www.mpsmcl.mp.gov.in/tenders.aspx, www.mp.gov.in/tenders_home तथा mpsc.mp.nic.in/e_khanij/AppPrevious/smcsandtender.aspx में प्रदर्शित किया गया है एवं यथा समय किया जायेगा।
- 1.2 **ऑफर मूल्य में प्रतिवर्ष बढ़ौत्तरी:** बोलीकर्ता को नीलामी सूचना में वर्णित अनुसार जिस ग्रुप के लिए वह बोली प्रस्तुत करने का इच्छुक है उस ग्रुप के लिए दर्शित आरक्षित मूल्य (upset Price) (अर्थात् प्रथम वर्ष का आरक्षित मूल्य) से अधिक मूल्य का ऑफर प्रथम वर्ष के लिए प्रस्तुत करेगा। बोलीकर्ता द्वारा ऑफर किया गया मूल्य प्रथम वर्ष में देय होगा। बोलीकर्ता को आगामी वर्षों में प्रतिवर्ष प्रथम वर्ष के ऑफर मूल्य का 5 प्रतिशत वृद्धि करके देना होगा। फलस्वरूप आगामी वर्षों में बोलीकर्ता द्वारा निम्नानुसार मूल्य देय होगा:-
- द्वितीय वर्ष में ऑफर मूल्य (प्रथम वर्ष का ऑफर मूल्य)+ ऑफर मूल्य का 5 प्रतिशत
 - तृतीय वर्ष में ऑफर मूल्य (प्रथम वर्ष का ऑफर मूल्य)+ ऑफर मूल्य का 10 प्रतिशत
 - चतुर्थ वर्ष में ऑफर मूल्य (प्रथम वर्ष का ऑफर मूल्य)+ ऑफर मूल्य का 15 प्रतिशत
 - पंचम वर्ष में ऑफर मूल्य (प्रथम वर्ष का ऑफर मूल्य)+ ऑफर मूल्य का 20 प्रतिशत
बोलीकर्ता को प्रत्येक वर्ष हेतु देय सम्पूर्ण मूल्य उसी वर्ष में जमा करना होगा अन्यथा वह आगामी अवधि में ठेका संचालन हेतु पात्र नहीं होगा तथा उसका ठेका निरस्त कर दिया जावेगा।
 - वैट की राशि ऑफर मूल्य में सम्मिलित नहीं है। तथा इसे प्रति घन मीटर कुल वास्तविक उठाई गई मात्रा के आधार पर शासन की तय दर पर अलग से जमा करना होगा।

1.3 आनलाईन बोली प्रस्तुत करने हेतु पात्रता –

- (i) बोलीकर्ता का भारतीय नागरिक, फर्म या भारतीय कम्पनी होना अनिवार्य है। यदि बोलीकर्ता कम्पनी है तो उसका भारतीय कम्पनी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत होना अनिवार्य है।
- (ii) बोलीकर्ता दिवालिया न हो एवं जिन पर म.प्र. शासन के द्वारा आवंटित खदान एवं खनिज के संबंध में देय शासकीय राशि बकाया न हो।
- (iii) यदि बोलीकर्ता पूर्व से निगम द्वारा काली सूची (Black Listed) में डाला गया हो तो वह ऑन-लाईन बोली प्रस्तुत करने हेतु पात्र नहीं होगा।
- (iv) बोलीकर्ता को ई-नीलामी प्रोसेसिंग फीस का आन लाईन भुगतान करना अनिवार्य है।
- (v) बोलीकर्ता को निर्धारित आरक्षित मूल्य (अपसेट प्राइज) का 10 (दस) प्रतिशत अमानत राशि ऑन-लाईन एनईएफटी/आरटीजीएस (RTGS) द्वारा जमा करना अनिवार्य है।
- (vi) बोलीकर्ता को यह ऑन-लाईन निर्धारित अधिकार त्याग (Disclaimer) पर  करना होगा, कि उसने निगम द्वारा ऑन-लाईन जारी समस्त दस्तावेजों का अध्ययन कर लिया है तथा खदानों के भौतिक सत्यापन के उपरांत वह प्रत्येक शर्त से सहमत है। उसके पश्चात ही वह ई-नीलामी प्रक्रिया में भाग ले सकेगा।
- (vii) निम्न दस्तावेज अनुबंध हस्ताक्षर के समय प्रस्तुत किये जाने होंगे :-
 - (i) आयकर स्थायी खाता क्रमांक (PAN) की प्रति।
 - (ii) वाणिज्यिक कर सर्टिफिकेट क्रमांक (TIN) की प्रति।
 - (iii) बैंक खाता का पिछले तीन माहों का बैंक स्टेटमेंट।
 - (iv) बोलीकर्ता के कॉस्टीट्यूशन संबंधी दस्तावेज की प्रति।
 - 1- व्यक्तिगत के लिये – शपथ पत्र (परिशिष्ट-7)
 - 2- साझेदारी फर्म – साझेदारी डीड,
 - 3- कंपनी के लिये – मेमोरण्डम एंड आर्टिकल ऑफ एसो0
 - (x) बोलीकर्ता कंपनियों के द्वारा उनके समस्त संचालकों का पूर्ण विवरण यथा- उनके नाम, पते, फोन नं0, मोबाईल नं0, फेक्स नं0 एवं ई-मेल की जानकारी पृथक प्रपत्र में दिया जाना अनिवार्य है।

1.4 बोली एवं अनुबंध दस्तावेज –

बोली एवं अनुबंध दस्तावेज निम्नानुसार है –

- (i) ई-नीलामी सूचना (समाचार पत्रों में)
- (ii) विस्तृत ई-नीलामी सूचना
- (iii) बोलीकर्ताओं को निर्देश
- (iv) ठेके की सामान्य शर्तें

(v) परिशिष्ट 1,2,3,4,5,6,7

(vi) अनुबंध का प्रारूप

उपरोक्त समस्त दस्तावेज, जारी सूचना पत्र (Letter of Information), जारी आशय पत्र (Letter of Intent) तथा सफल बोलीकर्ता द्वारा प्रस्तुत किए गए समस्त अभिलेख मिलकर अनुबंध का दस्तावेज बनेंगे जो चयनित बोलीकर्ता अथवा उसके अधिकृत प्रतिनिधि तथा निगम के अधिकृत अधिकारी के मध्य हस्ताक्षरित किया जाएगा जो उभय पक्षों पर बंधनकारी होगा ।

1.5 कार्य योजना/ माईनिंग प्लान का पुनरीक्षण:

खदानों के विभिन्न समूह से प्रथम वर्ष में रेत उठाव हेतु निर्धारित मात्रा परिशिष्ट-1 में दर्शित है। यह मात्रा अनुमोदित अथवा प्रस्तावित माईनिंग प्लान की मात्रा है। वर्तमान में निगम की दर रू0 125/- प्रति घनमीटर है (रायल्टी रू0 100/- प्रति घन मीटर तथा निगम का संचालन व्यय रू0 25/- प्रति घन मीटर)। उच्चतम बोलीकर्ता द्वारा ऑफर किये गये मूल्य की एक वर्ष की माह-वार कार्य योजना इसी के आधार पर निगम द्वारा निर्धारित की जावेगी तथा उक्त आधार पर कार्य प्रारंभ करने के दिनांक से एक वर्ष की रेत उठाव एवं बिक्री की कार्य योजना परिशिष्ट-4 अनुसार रहेगी। बोलीकर्ता के आवेदन पर प्रत्येक वर्ष में केवल एक बार कार्य योजना पुनरीक्षित करने का अधिकार निगम के प्रबंध संचालक को होगा, किंतु बोलीकर्ता के आवेदन को मान्य करना निगम के लिए बंधनकारी नहीं होगा। यदि कार्य योजना में दर्शित वार्षिक मात्रा से कम मात्रा का उठाव एवं बिक्री किसी वर्ष में की जाती है तब भी सम्पूर्ण वार्षिक ठेका धन जमा करना होगा एवं तत्पश्चात् इस कम मात्रा जो कि 20% सीमा से अधिक नहीं होगी, को आगामी वर्ष में उठाये जाने की अनुमति होगी (माईनिंग प्लान में अनुमत सीमा की मात्रा तक) तथा आवश्यकतानुसार माईनिंग प्लान का पुनरीक्षण निगम की अनुमति प्राप्त कर बोलीकर्ता द्वारा स्वयं के व्यय पर कराया जावेगा। ऐसी स्थिति में यदि पुनरीक्षित पर्यावरण की अनुमति आवश्यक होगी तब उसे प्राप्त करने का दायित्व संबंधित बोलीकर्ता का होगा। किसी भी वर्ष के माईनिंग प्लान में पुनरीक्षण, सक्षम अधिकारी की पुर्वानुमति से या किसी अन्य वैध एवं अनुमत (Legal & Permitted) कारण से यदि बोलीकर्ता द्वारा परिशिष्ट -1 में दर्शित मात्रा से अधिक मात्रा उठाव एवं बिक्री की जाती है तो उस वर्ष के देय मूल्य में आनुपातिक वृद्धि देय होगी।

$$I = \frac{ExO}{A}$$

I= संबंधित वर्ष के देय मूल्य में वृद्धि

E= परिशिष्ट-1 से अधिक उठाई की गई मात्रा

O=सम्बंधित वर्ष का देय मूल्य (वैट छोड़कर)

A= परिशिष्ट-1 में दर्शित मात्रा।

वैट अलग से देय होगा

1.6 अग्रिम पोस्ट डेटेड चैक्स जमा करना:

- (i) सफलतम बोलीकर्ता (H1) को अनुबंध के पूर्व उसके द्वारा ऑफर किए गए ठेका मूल्य के अनुसार परिशिष्ट-4 में दर्शित प्रथम वर्ष की कार्ययोजना के अनुसार प्रत्येक माह के लिए निर्धारित मात्रा के विरुद्ध देय राशि (आफर मूल्य तथा वैट की राशि) के 12 पोस्ट डेटेड चैक्स स्थानीय शाखा/सममूल्य (AT PAR) (Post Dated Cheques) दि मध्य प्रदेश स्टेट माइनिंग कारपोरेशन लि0 के नाम से आहरित परिशिष्ट-5 में दर्शायी गई तालिका अनुसार संबंधित उप कार्यालय में जमा करना होगा। इस प्रकार के पोस्ट डेटेड चेक में आहरण की तिथि प्रत्येक माह की 01 तारीख उल्लेख होना अनिवार्य होगा। बोलीकर्ता आशय पत्र (Letter of Intent) जारी होने की दिनांक से 15 दिवस के अंदर 12 पोस्ट डेटेड चेक अनिवार्य रूप से निगम मुख्य कार्यालय भोपाल में जमा करेगा। वैट की राशि का समायोजन वास्तविक उठाई की गई मात्रा के आधार पर आगामी महीनों में किया जावेगा। इसी प्रकार ठेके के द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ एवं पंचम वर्ष के प्रारंभ होने के पूर्व बोलीकर्ता प्रत्येक वर्ष के लिए 12 माह के 12 पोस्ट डेटेड चैक्स अग्रिम रूप में संबंधित उप कार्यालय में जमा करेगा। बोलीकर्ता का कोई भी पोस्ट डेटेड चेक अनादृत होने की दशा में अथवा उसका किसी माह में यदि किन्हीं विशेष कारणों से पीडीसी (Post Dated Cheques) में दर्शित सम्पूर्ण राशि जमा कराने में असमर्थ होने की दशा में 15 दिवस के भीतर मय 15 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ पूरी राशि जमा कर सकेगा। इस दौरान उसका कार्य निरंतर रहेगा किंतु 15 दिवस के अंदर देय राशि जमा न करने की स्थिति में ठेका निलंबित किया जाएगा। निलंबन के दौरान बोलीकर्ता रेत का उठाव एवं बिक्री नहीं करेगा एवं संबंधित प्रभारी अधिकारी तत्काल विभागीय रेत विक्रय प्रारंभ कर देंगे। यदि बोलीकर्ता चाहे तो निलंबन दिनांक से आगे 15 दिवस की अवधि के अंदर अनादृत चेक/देय संपूर्ण राशि, उस पर देय 15 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की राशि, अगली देय किश्तों की राशि तथा रू. 10,000/- प्रतिदिन की मान से दण्ड की राशि जमाकर ठेके को पुर्नजीवित करा सकता है। निलंबन अवधि में ठेका अवधि की वृद्धि नहीं की जाएगी। पुर्नजीवित कराने का अवसर बोलीकर्ता को ठेके के प्रत्येक वर्ष में केवल एक ही बार दिया जावेगा। निर्धारित 15 दिन की अवधि में ठेका पुर्नजीवित न कराने पर ठेका स्वयमेव निरस्त मान्य हो जायेगा तथा सुरक्षा जमा राशि एवं अन्य जमा राशि से उसपर बकाया राशि की कटौती कर शेष राशि निगम द्वारा जप्त कर ली जायेगी तथा निगम द्वारा तत्काल नया ऑफर आमंत्रित किया जावेगा। पोस्ट डेटेड चैक क्लीयर होकर निगम के खाते में प्राप्त होने में चैक जमा करने की तिथि से 03 दिवस से अधिक का विलंब होता है तो उस राशि पर 15 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज देना होगा।

- (ii) Post Dated Cheque अनादृत (बाउन्स) होने की स्थिति में उप कार्यालय के प्रभारी अधिकारी द्वारा बोलीकर्ता के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जावेगी। ऐसी स्थिति में प्रबंध संचालक द्वारा सुरक्षा जमा की राशि तथा अन्य जमा राशि जप्त की जा सकती है।

1.7 बोली का स्वीकृत किया जाना –

बोली स्वीकृत करने की प्रक्रिया निम्नानुसार होगी : –

- (i) एक से अधिक वैध ऑफर प्राप्त होने पर अपसेट प्राइज के ऊपर प्राप्त उच्चतम ऑफर स्वीकृत किया जा सकेगा।
- (ii) यदि प्रथम आमंत्रण में केवल एक ऑफर प्राप्त होता है तथा यदि वह एकल ऑफर अपसेट मूल्य के ऊपर 10 प्रतिशत या अधिक का प्राप्त होता है तो वह स्वीकृत किया जा सकेगा। इससे कम का ऑफर प्राप्त होने पर अथवा कोई वैध ऑफर प्राप्त नहीं होने पर समान अपसेट मूल्य पर दोबारा ऑफर आमंत्रित किया जावेगा।
- (iii) द्वितीय आमंत्रण में यदि अपसेट मूल्य से अधिक का ऑफर प्राप्त होता है तो वह एकल होने पर भी स्वीकृत किया जा सकेगा।
- (iv) द्वितीय आमंत्रित ऑफर असफल होने पर तृतीय ऑफर आमंत्रण भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार अपसेट मूल्य का पुनर्निर्धारण अथवा समूह में सम्मिलित खदानों का पुनः नियोजन करके किया जावेगा।
- (v) प्राप्त सफलतम बोली की वैधता बोली समाप्त होने की तिथि से 30 दिन तक रहेगी जिसे उभय पक्षों द्वारा आपसी सहमति से आगे बढ़ाया जा सकेगा। बोली की वैधता अवधि में निगम द्वारा सफलतम बोलीकर्ता को लिखित में बोली स्वीकार करने की सूचना एक आशय पत्र (Letter of Intent या LOI) द्वारा दी जाएगी।
- (vi) सफलतम बोलीकर्ता (H 1 Bidder) को ई-मेल द्वारा सफलतम बोलीकर्ता होने का सूचना पत्र (Letter of Information) स्वचलित सिस्टम द्वारा दी जाएगी किंतु इसका तात्पर्य यह नहीं होगा कि उसका ऑफर स्वीकार कर लिया गया है। प्राप्त ऑफर्स का परीक्षण करने के उपरांत ऑफर स्वीकृति के संबंध में निगम द्वारा पृथक से एक आशय पत्र (Letter of Intent) जारी किया जायेगा।

- (vii) आवश्यकता पड़ने पर आन लाईन ई-नीलामी बोली (bidding) प्रक्रिया प्रारंभ होने के पश्चात किंतु ई-नीलामी की समाप्ति के पूर्व निगम द्वारा ई-नीलामी बिडिंग प्रक्रिया के समाप्त होने के समय में वृद्धि की जा सकती है जो मात्र आन लाइन प्रदर्शित होगा ।
- (viii) बोलीकर्ता द्वारा www.mpeproc.gov.in में रजिस्ट्रेशन कराने के पश्चात वह ई-नीलामी में भाग ले सकेगा, परंतु प्रत्येक ग्रुप हेतु उसे अलग-अलग आरक्षित मूल्य (Upset price) की निर्धारित अमानत राशि (EMD) चालान के माध्यम से जमा करनी होगी। सफलतम बोलीकर्ता की बोली सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकार किये जाने पर निर्धारित अवधि में एच-1 ऑफर की स्वीकृत राशि का 25 प्रतिशत की सुरक्षा राशि प्रत्येक ग्रुप हेतु जमा करना होगा एवं इसमें पूर्व में जमा 10 प्रतिशत जमा अमानत राशि सम्मिलित रहेगी। एक से अधिक ग्रुप में भाग लेने पर प्रत्येक ग्रुप हेतु, निर्धारित 25 प्रतिशत सुरक्षा राशि की व्यवस्था को पूर्व से ही सफलतम बोलीकर्ता को सुनिश्चित करना होगा। यदि एक से अधिक समूहों की बोली (bid) उसके पक्ष में स्वीकृत किये जाते हैं एवं वह सभी समूहों की निर्धारित सुरक्षा राशि जमा नहीं कर पाता तो उसकी संबंधित ग्रुप की अमानत राशि जप्त कर ली जावेगी ।
- (ix) ई-नीलामी की प्रक्रिया में भाग लेने से पूर्व उसे नियमानुसार **Disclaimer** को टिक करना होगा । “मैंने रेत संबंधी विज्ञप्ति, ई-नीलामी दस्तावेज, परिशिष्ट, अनुबंध दस्तावेज पढ़ लिया है तथा रेत खदानों का भौतिक सत्यापन कर लिया है तथा मैं ई-नीलामी प्रक्रिया तथा समस्त शर्तों से सहमत हूँ ।”
- (x) अनुबंध हस्ताक्षरित होने के उपरांत यदि खदानों में पर्यावरण स्वीकृति एवं माईनिंग प्लान का अनुमोदन प्राप्त हो गया हो एवं खदानें रेत उत्खनन हेतु उपलब्ध हो जाती हैं तब निगम द्वारा बोलीकर्ता को कार्य अनुमति जारी की जाएगी ।

1.8 अनुबंध का निष्पादन:-

चयनित बोलीकर्ता निगम के साथ निर्धारित प्रारूप में आशय पत्र (LOI) जारी होने की दिनांक से 15 दिवस के अंदर अनुबंध निष्पादित करेगा। अनुबंध निष्पादन के समय सफल बोलीदार को स्वीकृत नीलामी राशि की 25% राशि बैंक ड्राफ्ट **NEFT/RTGS** द्वारा सुरक्षा राशि के रूप में निगम में जमा करनी होगी। बोलीदार द्वारा बोली में भाग लेने हेतु जमा अमानत राशि का समायोजन सुरक्षा राशि में किया जावेगा। विशेष परिस्थितियों में अनुबंध निष्पादन की समयावधि बढ़ाने का अधिकार निगम के प्रबंध संचालक को होगा। निर्धारित समयावधि में अनुबंध निष्पादित करने में असफल होने पर उसकी अमानत राशि निगम द्वारा जप्त कर ली जाएगी। बोलीकर्ता द्वारा 15 दिवस के अंदर ठेका अनुबंध पत्र भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 के अधीन निष्पादित कराया जाकर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क अदाकर रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 की धारा 17 के अंतर्गत अनुबंध दस्तावेजों का पंजीयन भी स्वयं के व्यय पर कराया जाएगा।

1.9 बोली के सम्बंध में निगम का अधिकार:-

ऑफर अभिलेखों में अन्यथा प्रावधान होने पर भी बिना कारण बताए किसी भी ऑफर को स्वीकृत/अस्वीकृत करने, समस्त ऑफर्स को अस्वीकृत करने या ऑफर प्रक्रिया को समाप्त करने एवं अनुबंध निष्पादन हेतु औचित्यपूर्ण कारण होने पर अतिरिक्त समय देने का अधिकार निगम के प्रबंध संचालक के पास सुरक्षित रहेगा। ऐसी किसी स्वीकृत, अस्वीकृत तथा ऑफर प्रक्रिया के समापन के कारण निगम के ऊपर कोई देयता या बाध्यता निर्मित नहीं होगी।

1.10 अमानत राशि की वापसी:-

बोली प्रक्रिया सम्पन्न होने के उपरांत उच्चतम बोलीकर्ता की अमानत राशि रोककर शेष बोलीकर्ताओं की अमानत राशि ई-पेमेंट के माध्यम से उसी खाते में वापस की जाएगी जिसका बोलीकर्ता ने ऑनलाइन (online) विवरण पूर्व में दिया है।

1.11 अमानत राशि/सुरक्षा राशि की जप्ती तथा ठेका निरस्तीकरण-

अमानत राशि/सुरक्षा राशि निम्न कारणों से जप्त करने तथा ठेका निरस्त करने का अधिकार निगम के प्रबंध संचालक को होगा :-

- (i) यदि बोलीकर्ता वैधता अवधि में अपना ऑफर वापिस ले लेता है।
- (ii) यदि अनुबंध करने से पूर्व अथवा बाद में किसी भी समय यह प्रकाश में आता है कि बोलीकर्ता बोली प्रस्तुत करने हेतु अपेक्षित अर्हता नहीं रखता है तो बोलीकर्ता को अयोग्य करार दिया जाएगा। यदि बोलीकर्ता द्वारा गलत बयानी या गलत जानकारी के आधार पर ठेका प्राप्त कर लिया गया है तो निगम द्वारा उसका ठेका निरस्त किया जाएगा। ऐसे निरस्तीकरण के फलस्वरूप बोलीकर्ता की अमानत राशि/सुरक्षा जमा की राशि एवं अन्य जमा राशि जप्त

कर ली जाएगी तथा निगम को निविदा दस्तावेजों या लागू कानून के अनुसार अन्य कार्यवाही करने का अधिकार होगा। निरस्तीकरण के कारण बोलीकर्ता को हुई किसी भी हानि के लिए निगम उत्तरदायी नहीं होगा।

- (iii) प्रथम वर्ष की किश्तों की राशि के 12 Post Dated Cheque (PDC) बोलीकर्ता को अनिवार्य रूप से कार्य आदेश जारी होने के उपरांत तीन दिवस के अंदर निगम में जमा करने होंगे। चूंकि ठेका पांच वर्ष का है अतः बोलीकर्ता आगामी वर्षों का कार्य प्रारंभ करने के पूर्व निर्धारित मात्रा के अनुसार किश्तों की देय राशि के 12 Post Dated Cheques अनिवार्य रूप से निगम के संबंधित उप कार्यालय में जमा करेगा। Post Dated Cheques यथा समय जमा न कराने की स्थिति में, उसका ऑफर/ठेका निरस्त किया जाकर उसके द्वारा निगम में जमा की गई अमानत राशि/सुरक्षा राशि एवं अन्य राशि जप्त कर ली जावेगी।
- (iv) यदि चयनित बोलीकर्ता निर्धारित समय सीमा में अनुबंध निष्पादित नहीं करता है।
- (v) यदि बोलीकर्ता द्वारा निर्धारित समयावधि में ठेका अनुबंध पत्र भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 के अध्याधीन निष्पादित कराया जाकर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क अदाकर अनुबंध दस्तावेजों का पंजीयन नहीं कराया जाता है।
- (vi) यदि बोलीकर्ता द्वारा रेत की निर्धारित मात्रा का उठाव समय सीमा में नहीं किया है अथवा प्रचलित अधिनियम/नियमों का उल्लंघन किया है।

1.1.2 बोलीकर्ताओं द्वारा खदानों का निरीक्षण एवं आकलन:-

ऑफर प्रस्तुत करने से पूर्व बोलीकर्ताओं से अपेक्षा की जाती है कि वे परिशिष्ट-1 में वर्णित खदानों का निरीक्षण कर लें तथा रेत खदानों उनकी निर्धारित रेत मात्रा एवं क्षेत्र तथा उनके उत्खनिपट्टों की अवधि से पूर्णतः भलीभाँति अवगत होकर ऑफर प्रस्तुत करें। बोलीकर्ता को इस आशय का प्रमाण पत्र परिशिष्ट-2 में दिये गये प्रपत्र में अनुबंध के पूर्व देना होगा। किन्हीं वैधानिक कारणों से यदि कोई खदान/खदाने कार्य करने हेतु उपलब्ध नहीं हो पाती है तब ऐसी स्थिति में संबंधित माह/माहों में अनुबंधित मात्रा के आधार पर कुल अनुबंधित मात्रा में कमी की जावेगी तथा बोलीकर्ता को किसी प्रकार से मुआवजे की पात्रता नहीं होगी। किंतु यदि समूह में सम्मिलित अन्य खदान/खदानें जहां पर ठेका मात्रा अनुमोदित खनन योजना से कम है तो, उस खदान/खदानों से इस कमी की भरपाई बोलीकर्ता को करना होगी (अनुमोदित खनन योजना की अधिकतम मात्रा तक)। बोलीकर्ता द्वारा बोली प्रस्तुत कर दिए जाने पर यह माना जाएगा कि बोलीकर्ता यह प्रमाणित कर रहा है कि उसने परिशिष्ट-2 एवं 3 के अनुसार अपना समाधान एवं संतुष्टि कर ली है।

1.1.3 बोली दस्तावेजों में सुधार –

आन लाइन बोली लगाने की तिथि के पूर्व निगम आवश्यकतानुसार बोली दस्तावेजों में सुधार कर सकेगा तथा यदि कोई बोली प्राप्त नहीं होती है तो आगामी बोली की जानकारी भी वेबसाईट www.mpeproc.gov.in एवं www.mpsmcl.mp.gov.in/

tenders.aspx, www.mp.gov.in/tenders_home तथा mpssc.mp.nic.in/e_khanij/AppPrevious/smcsandtender.aspx में प्रदर्शित किया जाएगा। ऐसा सुधार बोलीकर्ताओं पर बंधनकारी होगा।

ढेके की सामान्य शर्ते

2.1 परिभाषाएं तथा व्याख्या

- (i) "लेखा वर्ष" से तात्पर्य वित्तीय वर्ष से है जो 1 अप्रेल से शुरू होता है तथा अगले वर्ष की 31 मार्च को समाप्त होता है।
- (ii) "अनुबंध" से तात्पर्य इस अनुबंध तथा इसकी ई-नीलामी आमंत्रण सूचना, बोलीकर्ताओं को निर्देश, ढेके की सामान्य शर्ते, परिशिष्ट तथा संलग्न दस्तावेज से है।
- (iii) "अनुबंध की अवधि" से तात्पर्य 5 वर्ष अथवा 31.03.2020 जो भी पूर्व हो तक है जिसकी गणना कार्य प्रारंभ की दिनांक से की जाएगी। यदि अनुबंध 5वर्ष की अवधि पूर्ण होने से पूर्व किसी भी कारण से निरस्त किया जाता है तो अनुबंध की अवधि निरस्तीकरण दिनांक तक सीमित होगी।
- (iv) "लागू अधिनियम" से तात्पर्य वे कानून हैं जो राज्य शासन या केन्द्र सरकार द्वारा प्रसारित किये गये हो तथा लागू एवं प्रभावशील हों। इन कानूनों में इनके अंतर्गत बनाए गए नियम, विनियम तथा अधिसूचना और न्यायालय के निर्णय, डिक्री, ब्यादेश, रिट, आदेश, जो कि इस अनुबंध से संबंधित हैं, भी सम्मिलित हैं।
- (v) "लागू अनुज्ञा पत्र" से तात्पर्य उन सभी अनापत्ति प्रमाण-पत्रों, अनुज्ञा-पत्रों, प्राधिकार, सहमति तथा अनुमोदनों से है, जिनकी आवश्यकता प्रचलित कानूनों के अंतर्गत इस अनुबंध के अंतर्गत कार्य निष्पादन के लिए हो।
- (vi) "व्यावसायिक सदप्रथाएँ" से तात्पर्य उन प्रथाओं, पद्धतियों, तकनीकों, मानकों दक्षता, अध्यवसाय, बुद्धमतता से है जिसकी अपेक्षा सामान्यतया युक्तयुक्त रूप से अंतराष्ट्रीय स्तर पर युक्त युक्त तथा दक्ष एवं अनुभवी ऐसे ही कार्य में लगी एजेंसी, जैसी कि इस अनुबंध में प्रावधानित है।
- (vii) "ढेकेदार" से तात्पर्य चयनित बोलीकर्ता है जो कि अनुबंध निष्पादित कर अनुबंधकी शर्तों के अनुसार अपने दायित्वों का निर्वहन करेगा।
- (viii) "पक्षों" से तात्पर्य अनुबंध निष्पादित करने वाले दोनों पक्षों से है। पक्ष का तात्पर्य अनुबंध निष्पादित करने वाले किसी भी एक पक्ष से है।
- (ix) 'निगम' से तात्पर्य "दि मध्यप्रदेश स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन लिमिटेड" है।
- (x) "निगम के प्रतिनिधि" से तात्पर्य निगम के प्रबंध संचालक दि म.प्र. स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन लि. भोपाल या ऐसा कोई व्यक्ति जो कि प्रबंध संचालक द्वारा लिखित में इस अनुबंध के अंतर्गत प्राधिकृत किया जाता है।
- (xi) 'प्रबंध संचालक' से तात्पर्य दि मध्यप्रदेश स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन लिमिटेड के प्रबंध संचालक से है।

- (xii) 'संचालक मण्डल' से तात्पर्य दि मध्यप्रदेश स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन लिमिटेड के संचालक मण्डल से है।
- (xiii) "LOI" से तात्पर्य आशय पत्र (letter of Intent) से है तथा letter of Information से तात्पर्य सूचना पत्र से है।
- (xiv) "आरक्षित मूल्य" (Upset Price) से तात्पर्य प्रथम वर्ष हेतु निगम द्वारा आरक्षित मूल्य है।
- (xv) "देय राशि" (ऑफर मूल्य + वैट की राशि) से तात्पर्य किसी वर्ष की वह राशि है जो बोलीकर्ता द्वारा रेत उठाव एवं बिक्री के एवज में निगम को देय होगी। विक्रय की मात्रा या वर्ष बदलने पर देय मूल्य में भी परिवर्तन हो सकता है।

व्याख्या –

जहाँ भी प्रसंगवश अथवा अपेक्षा हो उसे छोड़कर इस अनुबंध में:

- (i) एक लिंग दर्शाने वाले शब्दों में सभी लिंग सम्मिलित हैं।
- (ii) एक वचन दर्शाने वाले शब्दों में बहुवचन भी सम्मिलित है तथा बहुवचन दर्शाने वाले शब्दों में एक वचन भी सम्मिलित है।
- (iii) अनुबंध में प्रयुक्त शब्दों 'सहमत', "सहमत हुआ" या अनुबंध से लिखित में अनुबंध करने की अपेक्षा है।
- (iv) "लिखित" या "लिखित में" से तात्पर्य, हस्तलिखित, टंकित, मुद्रित या इलेक्ट्रॉनिक मोड से है जिसके परिणाम स्वरूप स्थायी अभिलेख तैयार हो सकें।

2.2 सुरक्षा राशि –

सफलतम बोलीकर्ता ठेके के प्रथम वर्ष के कुल ठेका मूल्य का 25% सुरक्षा राशि अनुबंध निष्पादन के पूर्व निगम में जमा करेगा। बोली में भाग लेने हेतु बोलीकर्ता द्वारा जमा की गई अमानत राशि देय सुरक्षा राशि में समायोजित की जाएगी। सुरक्षा जमा की राशि ठेके की पूरी अवधि में निगम के पास जमा रहेगी एवं उस पर कोई ब्याज नहीं दिया जायेगा। ठेका सफलतापूर्वक सम्पादित करने पर एवं बोलीकर्ता से कोई वसूली योग्य राशि शेष न होने पर संपूर्ण सुरक्षा राशि बोलीकर्ता को यथाशीघ्र ठेका समाप्ति के एक माह के अंदर वापस कर दी जाएगी अथवा कोई राशि वसूली योग्य होने पर संपूर्ण या आंशिक सुरक्षा राशि जप्त की जा सकेगी। प्रत्येक वर्ष के ठेके मूल्य में पिछले वर्ष के ठेके मूल्य पर 5% वृद्धि होने के कारण, मूल्य वृद्धि की 25% राशि बैंक ड्राफ्ट द्वारा अतिरिक्त सुरक्षा निधि वर्ष का ठेका प्रारंभ होने के पूर्व संबंधित उपकार्यालय में जमा करानी होगी।

2.3 वाणिज्यिक कर (वैट) तथा अन्य कर व रॉयल्टी:—

खनिज निगम का अपसेट मूल्य 125/— रुपये प्रति घन मीटर है तथा "वैट कर" (Vat) इसके अतिरिक्त है। वैट की राशि कार्ययोजना की संपूर्ण निर्धारित मात्रा हेतु बोलीकर्ता द्वारा खनिज निगम को पृथक से किश्तों के साथ अग्रिम भुगतान की जावेगी। वैट राशि का समायोजन वास्तविक उठाई गई मात्रा के आधार पर आगामी महीनों में किया जावेगा। कार्ययोजना की संपूर्ण मात्रा यदि बोलीकर्ता द्वारा नहीं

उठाई जाती है तब वैट की राशि वास्तविक उठाई मात्रा पर देय होगी। ठेका अवधि के दौरान शासन द्वारा यदि वैट कर या अन्य कर/उपकर इत्यादि अधिरोपित किये जाते हैं या इनकी वर्तमान दरों में वृद्धि की जाती है तो इसे बोलीकर्ता को वहन करना होगा। फलस्वरूप वास्तविक उठायी गई रेत की मात्रा पर बढ़ी हुई दर पर यह राशि निगम को देय होगी।

2.4 मृतकर:—

बोलीकर्ता को प्रत्येक खदान से निगम द्वारा निर्धारित मात्रा में रेत उठानी होगी, जो परिशिष्ट-1 में दर्शित है। इस मात्रा से कम मात्रा का उठाव एवं बिक्री करने की स्थिति में भी वह निर्धारित मात्रा की पूरी किश्त निगम में जमा करेगा तथा निर्धारित मात्रा का उठाव एवं बिक्री न होने पर अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन माना जावेगा तथा अनुबंध निरस्त कर सुरक्षा राशि तथा अन्य राशियां जब्त की जावेगी (बोलीकर्ताओं के निर्देश की कंडिका 1.5 के अधीन)। खदानों हेतु देय मृतकर की भरपाई न हो पाने पर मृतकर की राशि की सीमा तक पृथक से राशि बोलीकर्ता से वसूली की जावेगी। खनिज रेत की खदानों हेतु मृतकर की वर्तमान दर प्रति हेक्टर या उसके भाग के लिये द्वितीय वर्ष से तृतीय वर्ष तक रू. 30,000/—प्रति हेक्टेयर एवं चतुर्थ वर्ष और आगे रूपये 40,000/— प्रति हेक्टेयर प्रतिवर्ष है। शासन द्वारा यदि भविष्य में यह दर बढ़ाई जाती है तो वह बोलीकर्ता द्वारा निगम को देय होगी।

2.5 बोलीकर्ता द्वारा मासिक लेखा प्रस्तुत करना:—

ठेके की अवधि में यदि यह पाया जाता है कि बोलीकर्ता द्वारा परिशिष्ट-6 में मासिक लेखा नहीं दिया जाता है या मासिक लेखा गलत/मिथ्या पाया जाता है तो संबंधित उपकार्यालयों के प्रभारी अधिकारियों द्वारा इसे संज्ञान में लिया जाकर प्रभारी अधिकारी की अनुशंसा पर निगम के प्रबंध संचालक को ठेका समाप्त कर सुरक्षा जमा राशि तथा अन्य जमा राशि जप्त करने का अधिकार होगा।

2.6 रेत उठाव की निर्धारित मात्रा

अधिकतम सतह से 3 मीटर तक अथवा जल स्तर तक अथवा वास्तविक उपलब्ध मात्रा, जो भी कम हो रेत खनिज का उठाव निर्धारित किया गया है। रेत का उठाव एवं बिक्री म0प्र0 गौण खनिज नियम, 1996 के प्रतिबंधित क्षेत्र तथा अन्य ऐसे प्रतिबंधित क्षेत्र जो शासन द्वारा निर्धारित किये गये हो, से नहीं किया जावेगा। रेत उठाव एवं बिक्री का कार्य नदी/नाले के जल के भीतर या बहाव की धारा (River Bed) में नहीं किया जावेगा।

2.7 खदानों के सीमा चिन्ह:-

बोलीकर्ता को खदानों के सीमा चिन्ह म0प्र0 गौण खनिज नियम के अंतर्गत स्थापित करना एवं सुरक्षित रखना अनिवार्य है। किन्हीं कारणों से सीमा चिन्ह क्षतिग्रस्त होने पर उन्हें मरम्मत एवं पुनर्स्थापित करने का दायित्व भी बोलीकर्ता का होगा।

2.8 खदान एवं रेत का विवरण:-

बोलीकर्ता को प्रत्येक खदान क्षेत्र में बोलीकर्ता एवं खदान का विवरण, रेत की विक्रय दर, मजूदरों द्वारा लिये जा रहे लोडिंग/अनलोडिंग की दर इत्यादि की जानकारी सूचना पटल पर प्रदर्शित करना होगा।

2.9 ट्रांजिट पास की अनिवार्यता:-

खदान से रेत का परिवहन बिना ट्रांजिट पास के नहीं किया जावेगा। ठेकेदार को अनुमोदित माइनिंग प्लान के अनुसार ही ट्रांजिट पास जारी किये जावेगे। प्रत्येक वाहन जो कि खनिज विभाग से खनिज परिवहन हेतु पंजीकृत हैं, के साथ तथा प्रत्येक ट्रिप हेतु नियमानुसार वैध ट्रांजिट पास जारी करना अनिवार्य है। ट्रांजिट पास बोलीकर्ता के अधिकृत कर्मचारी द्वारा जारी किया जावेगा। बोलीकर्ता को अपने अधिकृत कर्मचारियों की सूची मय फोटोयुक्त पहचान पत्र संबंधित उप कार्यालय में देनी होगी। बोलीकर्ता का यह कर्तव्य होगा कि वह प्रत्येक वाहन/ट्रिप के लिये ट्रांजिट पास जारी करावें। इस संबंध में अनियमितता बरतने पर ठेका समाप्त कर दिया जावेगा तथा बोलीकर्ता की सुरक्षा राशि एवं अन्य जमा राशि जप्त कर ली जावेगी।

2.10 परिवहन की व्यवस्था:-

निर्धारित मात्रा का उठाव एवं बिक्री करने के लिए समुचित वाहनों की व्यवस्था बोलीकर्ता को करानी होगी। वाहनों के अभाव में रेत की निर्धारित मात्रा का उठाव एवं बिक्री बोलीकर्ता द्वारा न कराये जाने की दशा में भी उसे अनुबंधित राशि निगम को भुगतान करनी होगी तथा भुगतान न करने पर इसे अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन मानकर अनुबंध निरस्त किया जाकर उसकी सुरक्षा राशि एवं अन्य जमा राशि जप्त कर ली जावेगी। बोलीकर्ता को खदान पहुँच मार्ग, कच्चा पुल आदि का निर्माण स्वयं के व्यय पर करना होगा। यदि पहुँच मार्ग में कोई निजी/शासकीय भूमि आती है तो उसका प्रबंध बोलीकर्ता को स्वयं के व्यय पर ही करना होगा। बोलीकर्ता को उसे आवंटित क्षेत्र में रात्रि में पर्याप्त प्रकाश की व्यवस्था करनी होगी।

2.11 स्वीकृत ठेका क्षेत्र व निकटवर्ती क्षेत्र में अवैध खनन को रोकना:-

उठाई जाने वाली रेत की चौकीदारी तथा सुरक्षा की व्यवस्था बोलीकर्ता स्वयं करेगा तथा रेत उठाव एवं बिक्री संबंधी समस्त नियमों का पालन करना होगा। यदि बोलीकर्ता को स्वीकृत ठेका क्षेत्र से अवैध उत्खनन पाया जाता है तो उसकी सम्पूर्ण

जबावदारी बोलीकर्ता की होगी । बोलीकर्ता के स्वीकृत ठेका क्षेत्र के निकटवर्ती क्षेत्र में यदि अवैध उत्खनन होता है तो उसकी लिखित सूचना बोलीकर्ता द्वारा निगम एवं जिला प्रशासन को दी जाना अनिवार्य है। बोलीकर्ता द्वारा अपने खर्च से रेत निकासी मार्ग पर 24x7 स्वचालित वीडियो कैमरे लगाये जावेंगे तथा प्रत्येक माह मासिक लेखा के साथ पूरे माह का वीडियो रिकार्ड निगम को उपलब्ध कराना होगा ।

2.12 नियम, आदेश, निर्देशों का पालन:—

बोलीकर्ता को मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम,1996 एवं मध्य प्रदेश खनिज (अवैध खनन, परिवहन तथा भण्डारण का निवारण) नियम, 2006 के प्रावधानों का पालन करना अनिवार्य होगा। बोलीकर्ता को केन्द्र, राज्य, स्थानीय शासन या निगम के सभी लागू या समय- समय पर जारी निर्देशों, नियमों का तथा माननीय न्यायालय, भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, म.प्र. प्रदूषण निवारण मंडल (Pollution control board) या एन0जी0टी0 द्वारा पारित आदेश या नियमों का पालन करना होगा तथा निगम इसके लिये उत्तरदायी नहीं होगा। साथ ही बोलीकर्ता को निगम के अधिकारियों/ उप- कार्यालय के प्रभारी अधिकारी एवं उनके द्वारा निर्दिष्ट कर्मचारी के निर्देशों का पालन करना होगा।

2.13 लेबर सम्बंधी नियमों का पालन:—

प्रचलित लेबर ऐक्ट तथा श्रम नियमों के अनुसार बोलीकर्ता को रजिस्ट्रेशन कराना होगा। मजदूरों से सम्बंधित बीमा, पी0एफ0 इत्यादि नियमों का पालन करना होगा। बोलीकर्ता को पाक्षिक लेबर रिपोर्ट निगम को प्रस्तुत करना अनिवार्य है। मजदूरों को आवश्यक सुविधायें जैसे हेलमेट, आवास, चिकित्सा, साफ- सफाई इत्यादि प्रदान करना होगा। नियमों का उल्लंघन करने पर या समय पर रिपोर्ट प्रस्तुत न करने पर निगम द्वारा ठेके के मूल्य पर अधिकतम 0.5% प्रति माह की दर से दण्ड आरोपित किया जा सकेगा तथा सक्षम अधिकारी द्वारा विधिक कार्यवाही की जा सकेगी। यदि बोलीकर्ता को आवंटित क्षेत्र में रेत उठाव एवं बिक्री के दौरान कोई दुर्घटना होती है एवं दुर्घटना के फलस्वरूप धन-जन की हानि होने पर पूर्ण उत्तरदायित्व बोलीकर्ता का होगा तथा निगम की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

2.14 ठेका अहस्तांतरणीय है:—

बोलीकर्ता को स्वीकृत किया गया ठेका उनके द्वारा किसी भी परिस्थिति/समय में अन्य किसी को हस्तांतरित नहीं किया जावेगा।

2.15 ठेके की अवधि में वृद्धि:—

ठेका समाप्ति के उपरांत विशेष परिस्थितियों में आपसी सहमति से ठेका अवधि में वृद्धि करने का अधिकार निगम के प्रबंध संचालक को होगा जिसे ठेके की

कार्ययोजना के संबंधित माह/माहों में निर्धारित मात्रा तथा अनुबंधित किश्त की राशि के समानुपातिक आधार पर बढ़ाया जावेगा तथा ठेका अवधि निरन्तर मानी जावेगी। इस पर 5% वार्षिक मूल्य वृद्धि का मानदण्ड भी लागू होगा। इसका आशय यह है कि ठेके की विगत वर्ष के संबंधित माहों की कार्य-योजना में जो मात्रा स्वीकृत की गई है, बढ़ी हुई अवधि के माहों में ठेकेदार को माहवार उतनी ही मात्रा उठानी होगी, साथ ही यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यदि किसी बोलीकर्ता द्वारा मूल ठेके की संपूर्ण राशि जमा कर दी गई है परंतु उसके द्वारा अनुबंधित मात्रा नहीं उठायी गयी है तो वह इस बढ़ी हुई अवधि में वह शेष मात्रा तथा बढ़ी हुई अवधि में स्वीकृत मात्रा उठा सकेगा (माईनिंग प्लान की अनुमत मात्रा की सीमा तक तथा बोलीकर्ताओं के निर्देश की कंडिका 1.5 में उल्लेखित सीमा तक)। यदि बोलीकर्ता मूल ठेका अवधि में अनुबंधित मात्रा से अधिक मात्रा उठा चुका है तो वह उक्त उठायी गयी अधिक मात्रा का समायोजन बढ़ी अवधि में नहीं करा सकेगा अर्थात् बढ़ी हुई अवधि में अतिरिक्त मात्रा उसे उठाना होगा एवं इसकी बिक्री मूल्य खनिज निगम को देना होगा। मूल ठेका अवधि समाप्ति के उपरांत ठेका वृद्धि की संपूर्ण अवधि निरन्तर मानी जावेगी। ठेका अवधि में वृद्धि किया जाना बोलीकर्ता का अधिकार नहीं होगा और न ही ठेका अवधि में वृद्धि करना निगम के लिए बंधनकारी होगा।

2.16 वाणिज्य विभाग में पंजीयन:—

यदि बोलीकर्ता का वाणिज्यकर विभाग में पंजीयन नहीं है तो उसे अनुबंध निष्पादन के उपरांत एक माह के अंदर पंजीयन कराकर टिन (TIN) प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

2.17 ठेके के दौरान प्रबंध संचालक के निर्देश आदि:—

निगम के प्रबंध संचालक ठेके की अवधि के दौरान किन्हीं अन्य व्यावहारिक शर्तों का समावेश करने तथा कार्यपालक निर्देश जारी करने के लिए स्वतंत्र होंगे जो बोलीकर्ता के लिए बंधनकारी होगा। ठेके की शर्तों की व्याख्या निगम के प्रबंध संचालक द्वारा की जावेगी और प्रबंध संचालक का निर्णय अंतिम होगा।

2.18 आदेशों के पालन में क्षतिपूर्ति अमान्य:—

ऑफर के संबंध में किसी भी न्यायालयीन आदेश, स्थगन आदेश, यथास्थिति आदेश, अथवा अन्य कोई अंतरिम आदेश, के परिप्रेक्ष्य में बोलीकर्ता द्वारा क्लेम की गई किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति निगम द्वारा प्रदान नहीं की जावेगी।

2.19 वसूली योग्य राशि हेतु कार्यवाही:—

यदि बोलीकर्ता से कोई वसूली योग्य राशि निकलती है तो उक्त राशि की वसूली उसी बोलीकर्ता के अन्य ठेके की निगम में जमा सुरक्षा राशि एवं अन्य राशि से की जा सकेगी।

2.20 ग्रामीणजन/ ग्राम पंचायतों को रेत का निःशुल्क प्रदाय:-

ग्रामीण जनों को स्वयं के निर्माण कार्य में अथवा ग्राम पंचायतों के द्वारा प्रस्तावित निर्माण कार्यों के प्रयोजन हेतु रेत खनिज की उपलब्धता निकटस्थ संचालित खदान क्षेत्र से निशुल्क की जायेगी। इस प्रकार की आवश्यकता सुनिश्चित किये जाने का दायित्व संबंधित ग्राम पंचायत का होगा जिसकी अनुमति संबंधित तहसीलदार द्वारा दी जावेगी। ऐसी मात्रा निशुल्क निकालने की सहमति देना बोलीकर्ता के लिए बंधनकारी होगा।

2.21 खनन योजना का अनुमोदन एवं पर्यावरण स्वीकृति –

(i) नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल मुख्य बेंच नई दिल्ली द्वारा प्रकरण क्र0 OA No. 123/2014 (हिम्मत सिंह शेखावत विरुद्ध राजस्थान राज्य) में पारित निर्णय दिनांक 13-01-2015 के तहत निगम की पूर्व से संचालित रेत खदानों हेतु पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त करने की आवश्यकता दिनांक 12-7-2015 के उपरांत होगी। अर्थात् चयनित बोलीकर्ता ऐसी खदानों से रेत विक्रय दिनांक 12-7-15 तक कर सकेगा तथा पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त न होने की स्थिति में खदान दिनांक 13-7-15 से बंद हो जाएगी अतः बोलीकर्ता को उसे स्वीकृत ग्रुप की खदानों हेतु दिनांक 13-7-2015 के पूर्व कंडिका (iii) एवं (v) के अध्यक्षीन पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। कंडिका (iii) एवं (v) के तहत पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त करने हेतु निर्धारित की गई समयावधि के दौरान उसे PDC एवं किश्त जमा करने से छूट दी जाएगी।

(ii) ठेके में सम्मिलित रेत खदानों की खनन योजना का अनुमोदन एवं पर्यावरण स्वीकृति सक्षम स्तर से प्राप्त करने की जवाबदारी स्वयं के व्यय पर बोलीकर्ता की होगी। यदि किसी न्यायालयीन/निर्णय/केन्द्र/राज्य सरकार के आदेश के परिप्रेक्ष्य में सक्षम स्तर से खनन योजना का अनुमोदन एवं पर्यावरण स्वीकृति निगम द्वारा निर्धारित Time Frame के तहत अपने व्यय पर प्राप्त की जाती है तो सफलतम बोलीकर्ता को उसके ठेके में सम्मिलित ऐसी खदान/खदानों बाबत निगम द्वारा इस बाबत किये गये व्यय की प्रतिपूर्ति निगम को करना होगी। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल प्रिंसिपल बेंच नई दिल्ली ने प्रकरण क्रमांक OA No. 123/2014 में यह निर्णित किया है कि— All the existing leases right holders will be required to submit the application for obtaining EC within three months and after 13-7-2015 no State shall permit carrying on of sand mining or minor mineral extraction on riverbed or otherwise without the concerned person obtaining Environmental Clearance. अतः उक्त समयावधि के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित किया जाना

आवश्यक है। निगम के संबंधित उपकार्यालय के प्रभारी अधिकारी इस प्रक्रिया में नियमानुसार समन्वय की कार्यवाही करेंगे।

- (iii) सफलतम बोलीकर्ता के पक्ष में कार्यादेश जारी हो जाने के उपरांत ठेके में सम्मिलित ऐसी रेत खदानों हेतु जिनके माइनिंग प्लान का अनुमोदन अथवा पर्यावरण स्वीकृति सक्षम स्तर से ठेका आवंटन स्वीकृति तिथि को प्राप्त नहीं है अथवा आगामी ठेका अवधि में आवश्यक होगा एवं/अथवा खदानें तत्काल कार्य प्रारंभ करने हेतु उपलब्ध नहीं है, ऐसी रेत खदानों के माइनिंग प्लान का अनुमोदन तथा पर्यावरण स्वीकृति बोलीकर्ता द्वारा स्वयं के व्यय पर प्राप्त की जावेगी। माइनिंग प्लान का अनुमोदन एक माह में तथा पर्यावरण स्वीकृति 25 हे० से कम रकबा की खदानों हेतु 3 माह तथा 25 हे० एवं अधिक की खदानों हेतु 6 माहमें प्राप्त करना होगा। ऐसी रेत खदानों हेतु नियमानुसार वांछित अनुमति प्राप्त होने के उपरांत बोलीकर्ता ऐसी रेत खदानों पर खनन योजना में अनुमोदित मात्रानुसार रेत की निकासी कर निगम द्वारा स्वीकृत किए गए मूल्य के अनुसार किश्त की राशि का भुगतान अनुबंधानुसार ठेका समाप्ति तिथि तक निगम को करेगा।
- (iv) आवश्यक होने पर माइनिंग प्लान एवं पर्यावरण अनुमति पुनरीक्षित कराने/नवीनीकरण स्वयं के व्यय पर कराने की जवाबदारी बोलीकर्ता की होगी। निगम के संबंधित उपकार्यालय के प्रभारी अधिकारी इस प्रक्रिया को बोलीकर्ता के माध्यम से पूर्ण कराने हेतु अधिकृत होंगे जिसके लिए उन्हें प्रबंध संचालक से पूर्वानुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
- (v) यदि बोलीकर्ता उपरोक्तानुसार निर्धारित अवधि में माइनिंग प्लान अनुमोदन तथा पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त नहीं करता है तो उसकी अमानत राशि/सुरक्षा राशि जप्त कर ठेका निरस्त कर दिया जाएगा। यदि बोलीकर्ता कंडिका (iii) में निर्धारित अवधि में पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त करने में ऐसे कारणों से असफल रहता है जो उसके नियंत्रण में न हो तो ऐसे प्रकरणों में प्रबंध संचालक द्वारा विशेष परिस्थितियों में यथोचित समय वृद्धि की जा सकेगी। उक्त प्रकार से निर्धारित समयावधि में भी यदि बोलीकर्ता पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त करने में असफल रहता है तो उसके द्वारा जमा अमानत राशि/सुरक्षा राशि जप्त कर ठेका निरस्त कर दिया जायेगा किंतु यदि सिया SEIAA/MOEF द्वारा किन्हीं तकनीकी कारणों के आधार पर पर्यावरण अनुमति प्रदान नहीं की जाती है तब बोलीकर्ता द्वारा जमा की गई सुरक्षा राशि बोलीकर्ता को वापस कर दी जाएगी।

2.22 ठेके का समर्पण:-

यदि बोलीकर्ता ठेका समर्पित करना चाहता है तो वह निगम के संबंधित उपकार्यालय के प्रभारी अधिकारी को लिखित में एक माह पूर्व सूचना देगा तथा संबंधित प्रभारी अधिकारी जिस दिनांक को स्वयं के हस्ताक्षर से पावती देंगे वह दिनांक उसकी आवेदन दिनांक मानी जाएगी तथा उक्त आवेदन दिनांक से आगामी एक माह तक बोलीकर्ता को ठेका कार्य निरंतर रखना होगा तथा एक माह पश्चात वह अपना कार्य बंद कर सकेगा। उसे उक्त एक माह हेतु अनुपातिक किश्त अनुसार देय राशि का भुगतान करना होगा। ठेका समर्पित करने पर बोलीकर्ता की सुरक्षा राशि एवं अन्य जमा राशि से उस पर बकाया राशि समायोजित कर शेष राशि निगम द्वारा जप्त कर ली जायेगी। ऐसी स्थिति में निगम द्वारा तत्काल नई बोली आमंत्रित की जावेगी। बोलीकर्ता द्वारा ठेका समर्पित करने अथवा ठेका निलंबन करने पर संबंधित प्रभारी अधिकारी तत्काल विभागीय रेत विक्रय प्रारंभ करेगा। ठेका समर्पित करने वाला बोलीकर्ता जिस ग्रुप का ठेका समर्पित कर रहा है उस ग्रुप हेतु आमंत्रित की जाने वाली बोली में आगामी पांच वर्ष तक भाग नहीं ले सकेगा।

2.23 कारण बताओ नोटिस का जवाब:-

बोलीकर्ता द्वारा यदि उपरोक्त उल्लेखित शर्त/शर्तों का उल्लंघन किया जाता है तो निगम के संबंधित प्रभारी अधिकारी द्वारा बोलीकर्ता को कारण बताओ नोटिस जारी किया जावेगा जिसका जवाब बोलीकर्ता को 15 दिवस के भीतर देना होगा। समयावधि में उत्तर प्राप्त होने, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में संबंधित प्रभारी अधिकारी प्रकरण का परीक्षण कर प्रबंध संचालक को अपनी टीप सहित प्रकरण अग्रेषित करेगा तथा प्रबंध संचालक द्वारा समुचित निर्णय लिया जावेगा, जो बोलीकर्ता पर बंधनकारी होगा।

2.24 अप्रत्याशित घटना या परिस्थिति (Force Majeure):-

यदि किसी अप्रत्याशित घटना या परिस्थिति (Force Majeure) जो बोलीकर्ता के नियंत्रण से परे हो तथा इस तथ्य के पर्याप्त प्रमाण हों कि बोलीकर्ता द्वारा ऐसी घटना या परिस्थिति के होते हुये भी उन्हें रोकने, हटाने या टालने के पर्याप्त प्रयास किये गये हों ताकि कार्य निरंतर चलता रहे, के कारण कार्य बाधित हो तो बाधित समयावधि तक बोलीकर्ता के सभी दायित्व स्थगित रखे जायेंगे। बोलीकर्ता ऐसी घटना या परिस्थिति की विस्तृत जानकारी उसके उत्पन्न होने के पूर्व या तुरंत पश्चात् जैसा भी संभव हो पर्याप्त साक्ष्य सहित निगम को देगा तथा कारण (अप्रत्याशित घटना या परिस्थिति) के समाप्त होने पर निगम को सूचित करते हुये कार्य पुनः प्रारंभ करेगा। निगम द्वारा वांछित तथा तदनुसार बोलीकर्ता द्वारा प्रस्तुत जानकारी, साक्ष्य तथा दस्तावेज के आधार पर प्रबंध संचालक द्वारा निर्णय लिया जायेगा जो अंतिम तथा बंधनकारी होगा।

यहाँ पर अप्रत्याशित घटना या परिस्थिति से अभिप्रेत है:— देवीय प्रकोप जैसे बाढ़, महामारी, भूकम्प तथा अकाल इत्यादि तथा अनपेक्षित घटना यथा आम हड़ताल, कर्फ्यू, उपद्रव, आगजनी, दंगा तथा शासन द्वारा लागू प्रतिबंधात्मक धारार्ये, नियम आदेश या उदघोषण में शासन द्वारा किया गया परिवर्तन आदि।

2.25 विवादों का निपटारा :-

निगम एवं बोलीकर्ता के मध्य निष्पादित अनुबंध से संबंधित किसी विवाद के निराकरण हेतु विवाद उत्पन्न होने के सात दिवसों के भीतर बोलीकर्ता द्वारा निगम के प्रबंध संचालक को औपचारिक रूप से लिखित में विवाद का सारभूत अधिसूचित किया जावेगा। अधिसूचित करने के तीस दिवस के भीतर निगम के प्रबंध संचालक संबंधित पक्षों की सुनवाई कर इसका निराकरण कर सकेंगे। यदि निगम के प्रबंध संचालक 30 दिवस में उन्हें संदर्भित किये गये विवाद का समाधान करने में असमर्थ रहते हैं तब ऐसी स्थिति में या बोलीकर्ता प्रबंध संचालक द्वारा निर्णीत समाधान से संतुष्ट न हो तो आरबीट्रेशन एण्ड कन्सीलिएशन एक्ट 1996 के अंतर्गत संबंधित पक्षों द्वारा विवाद पंच निर्णय हेतु प्रस्तुत किया जावेगा एवं पंच द्वारा विधि सम्मत निर्णय दोनो पक्षों को मान्य होगा।

2.26 विवाद का अधिकार क्षेत्र:-

समस्त वैधानिक विवाद भोपाल न्यायालय के अधीन होंगे।

दि मध्यप्रदेश स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन लिमिटेड भोपाल

परिशिष्ट - 1

उप कार्यालय होशंगाबाद जिला - होशंगाबाद, तहसील - पिपरिया,
समूह का नाम - पिपरिया

रेत खदानों की सूची

निर्धारित मात्रा 282000 घनमीटर (उदाहरण हेतु)

क्रमांक	खदान का नाम	खसरा क्र0	रकबा (हे0)	मात्रा घ0मी0
1	2	3	4	6
1	सर्राकिसोर	32	4.000	115000
2	खापरखेड़ा	244	0.809	24000
3	मरकाढाना	86	4.000	115000
4	ढांडियाकिसोर	115	1.000	28000
		योग	9.809	282000

टीप :

खदानों के नक्शे निगम के संबंधित उप कार्यालय में बोलीकर्ता के अवलोकनार्थ उपलब्ध हैं।

** ई-नीलामी से संबंधित समस्त समूहों की परिशिष्ट -1 की जानकारी संलग्न Sub Documents (Annexure) चारों वेबसाइटों पर उपलब्ध है, तथा म.प्र. स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन लि. की वेबसाइट www.mpsmcl.mp.gov.in में संबंधित समूहों के कोड के उपर हाईपरलिंक के रूप में देखी जा सकती है।

दि मध्यप्रदेश स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन लिमिटेड भोपाल

परिशिष्ट - 2

खदानों के स्थल निरीक्षण संबंधी प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि मैंने/हमने दि मध्यप्रदेश स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन लि० के उप कार्यालय —————, के अंतर्गत जिला —————, तहसील ————— समूह ————— की परिशिष्ट-1 में दर्शाई गई रेत खदानों का व्यक्तिगत रूप से स्थल निरीक्षण कर लिया है तथा पूरी तरह से रेत खदानों के क्षेत्र एवं उसकी उत्खनिपट्टे पर स्वीकृति अवधि से भलीभाँति अवगत हुए। मैं/हम दि मध्यप्रदेश स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन लि० के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों द्वारा संबंधित/समीपवर्ती जिले/जिलों से संचालित की जा रही रेत खदानों से भी भलीभाँति अवगत हुआ/हुए। साथ ही मैं/हम अन्य व्यक्तियों द्वारा विधिपूर्वक किये गये रेत खनिज के स्टॉक से भली भाँति अवगत हुआ/हुए एवं तदनुसार ही मेरे/हमारे द्वारा रेत उठाव एवं बिक्री कराने हेतु ऑफर प्रस्तुत किया गया है। मैं/हम रेत का विक्रय "जहाँ है, जैसा है" के आधार पर करूंगा/करेंगे। मेरे/हमारे द्वारा ऑफर की शर्तों/निबंधन का सावधानीपूर्वक अध्ययन कर लिया गया है एवं उन्हें समझ लिया गया है एवं तदनुसार ही मेरे/हमारे द्वारा ऑफर प्रस्तुत किया गया है।

बोलीकर्ता अथवा
प्राधिकृत व्यक्ति के
हस्ताक्षर तथा सील

टीप— यह प्रमाण पत्र अनुबंध के पूर्व बोलीकर्ता द्वारा प्रस्तुत किया जावेगा ।

दि मध्यप्रदेश स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन लिमिटेड भोपाल

परिशिष्ट - 3

वचन पत्र

मैं/हम यह वचन देता हूँ/हैं कि यदि अनुबंध निष्पादन पूर्व अथवा बाद में किसी भी समय यह प्रकाश में आता है कि बोली प्रस्तुत करने हेतु अपेक्षित अर्हता नहीं रखता/रखते हूँ/हैं तो मुझे/हमें अयोग्य करार दिया जाएगा । यदि मेरे/हमारे द्वारा गलत बयानी या गलत जानकारी के आधार पर ठेका प्राप्त कर लिया गया है तो निगम द्वारा मेरा/हमारा ठेका निरस्त किया जाएगा। यदि मेरे/हमारे पक्ष में स्वीकृति पत्र जारी किया जा चुका हो या मैंने/हमने अनुबंध निष्पादित कर दिया हो तो गलत बयानी या गलत जानकारी के लिये निगम द्वारा लिखित नोटिस द्वारा मेरा/हमारा स्वीकृति पत्र/अनुबंध निरस्त किया जा सकता है। ऐसे निरस्तीकरण के फलस्वरूप मेरी/हमारी अमानत राशि/सुरक्षा जमा की राशि एवं अन्य राशि निगम द्वारा जप्त की जा सकती है तथा निगम को ऑफर दस्तावेजों या लागू कानून के अनुसार अन्य कार्यवाही करने का अधिकार भी होगा। निरस्तीकरण के कारण मुझको/हमको हुई किसी भी हानि के लिए निगम उत्तरदायी नहीं होगा।

दिनांक :

बोलीकर्ता अथवा प्राधिकृत
व्यक्ति के हस्ताक्षर तथा सील

टीप- यह वचन पत्र बोलीकर्ता द्वारा अनुबंध के पूर्व प्रस्तुत किया जावेगा ।

दि मध्यप्रदेश स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन लिमिटेड भोपाल

परिशिष्ट - 4

रेत खदानों की प्रथम वर्ष की कार्य योजना

समूह का नाम - -----

उप कार्यालय - -----, जिला - -----, तहसील - -----,

निर्धारित मात्रा ----- घनमीटर

स.क्र.	माह	निर्धारित मात्रा की प्रथम वर्ष की माह - वार कार्ययोजना (घनमीटर)
1-	जनवरी	
2-	फरवरी	
3-	मार्च	
4-	अप्रैल	
5-	मई	
6-	जून	
7-	जुलाई	
8-	अगस्त	
9-	सितम्बर	
10-	अक्टूबर	
11-	नवम्बर	
12-	दिसम्बर	

टीप-

1. यह तालिका ऑफर स्वीकार होने के पश्चात बोलीकर्ता से विचार-विमर्श कर निगम द्वारा भरी जावेगी ।
2. यही माह-वार मासिक कार्ययोजना ठेके के द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ एवं पंचम वर्ष में भी लागू होगी ।

दि मध्यप्रदेश स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन लिमिटेड भोपाल

परिशिष्ट - 5

उप कार्यालय ----- जिला -----

तहसील ----- समूह का नाम - -----

ठेके की राशि के भुगतान की तालिका

स.क्र.	माह	विक्रय की जाने वाली मासिक मात्रा (घनमीटर में)	देय किरत की राशि (रूपये)	पोस्ट डेटेड चैक	
				क्रमांक	दिनांक
1	2	3	4	5	6
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					

टीप :-

1. इस तालिका के स्तम्भ 2, 3 तथा 4 को भरकर आशय पत्र (LOI) के साथ चयनित बोलीकर्ता को भेजा जाएगा। चयनित ऑफरकार स्तंभ 5 एवं 6 को भरकर 12 माह के लिये पोस्ट डेटेड चैकों के साथ अनुबंध करने के पूर्व इस तालिका को निगम को लौटायेगा। यह तालिका अनुबंध का अभिन्न अंग होगी।
2. पोस्ट डेटेड चैकों की राशि की गणना परिशिष्ट-4 की तालिका में दी गई मात्रा के आधार पर की जावेगी।
3. यही तालिका ठेके के द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ एवं पंचम वर्ष में भी लागू होगी जिसे निगम के संबंधित उपकार्यालय के प्रभारी अधिकारी द्वारा बोलीकर्ता से पोस्ट डेटेड चैक प्राप्त कर भरा जायेगा।

दि मध्यप्रदेश स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन लिमिटेड भोपाल

परिशिष्ट - 6

उप कार्यालय - -----, जिला - ----- तहसील - -----,

समूह का नाम - -----

रेत उठाव एवं बिक्री का मासिक लेखा

माह 201.....

बोलीकर्ता का नाम.....

खदान का नाम

क्र.सं.	बिल क्रमांक एवं दिनांक	ट्रान्जिट पास क्रमांक एवं दिनांक	उठाई गई मात्रा (घनमीटर में)	बिक्री दर प्रति घनमीटर	कुल राशि 4 x 5
1	2	3	4	5	6
योग-					

टीप:- उठाई गई मात्रा की पुष्टि में बिलों की स्वयं सत्यापित छायाप्रतियाँ संलग्न की जाएगी।

दि मध्यप्रदेश स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन लिमिटेड भोपाल

परिशिष्ट - 7

उप कार्यालय - -----, जिला - -----तहसील - -----,
समूह का नाम - -----

शपथ-पत्र

मैं (नाम)-----पुत्र/पुत्री-----
उम्र----- वर्ष, पता-----
का निवासी हूँ तथा शपथपूर्वक कथन करता हूँ कि मैं ऑफर में व्यक्तिगत हैसियत से अथवा (संस्था का नाम)----- के प्रोपराइटर की हैसियत से ऑफर में भाग ले रहा हूँ ।

शपथग्रहीता

सत्यापन

सत्यापित किया जाता है कि उपरोक्त कथन मेरे ज्ञान एवं विश्वास अनुसार सत्य है ।
आज दिनांक----- को सत्यापित किया गया ।

स्थान—

शपथग्रहीता

दिनांक—

टीप— यह शपथ पत्र केवल व्यक्तिगत बोलीकर्ता आवश्यक स्टाम्प पेपर पर नोटराइज्ड करारकर अनुबंध के पूर्व प्रस्तुत करेंगे ।

अनुबंध प्रारूप
दि मध्यप्रदेश स्टेट माइनिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड भोपाल

उप कार्यालय -----, जिला -----,
तहसील - ----, समूह ----- की रेत खदानों से

रेत उठाव एवं बिक्री का अनुबंध

यह अनुबंध, दि म.प्र. स्टेट माइनिंग कॉर्पोरेशन लि., भोपाल के प्रबंध संचालक (जिसे आगे निगम संदर्भित किया गया है) जिसकी अभिव्यक्ति में जहाँ संदर्भ में ऐसा स्वीकार्य हो उसके उत्तराधिकारी सम्मिलित है (प्रथम पक्ष) तथा _____ (जिसे आगे बोलीकर्ता संदर्भित किया गया है) जिसकी अभिव्यक्ति में जहां संदर्भ में ऐसा स्वीकार्य हो उसके निष्पादक, प्रबंधक, प्रतिनिधिगण तथा उत्तराधिकारी सम्मिलित हैं (द्वितीय पक्ष) के मध्य, आज दिनांक माह वर्ष को निष्पादित किया जाता है।

जैसा कि :

- (i) प्रबंध संचालक, दि म.प्र. स्टेट माइनिंग कॉर्पोरेशन लि., द्वारा उप कार्यालय _____ जिला _____ तहसील _____ समूह _____ की रेत खदानों (जिसकी सूची परिशिष्ट-1 में दी गई है) से रेत उठाव एवं बिक्री कराने की बोली दिनांक _____ को आमंत्रित की गई थी।
- (ii) उक्त ई-नीलामी के संदर्भ में प्राप्त बोलियों का मूल्यांकन कर निगम द्वारा मेसर्स/श्री/_____ की बोली स्वीकार कर आशय पत्र (Letter of Intent) क्र. _____ दिनांक _____ को अन्य बातों के साथ साथ इस अनुबंध को निष्पादित करने के लिए जारी किया गया।
- (iii) निगम 'ई नीलामी' सूचना के प्रावधानों के अनुरूप सफलतम बोलीकर्ता के साथ संदर्भित खदानों से रेत उठाव एवं बिक्री का अनुबंध करने के लिए सहमत हुआ है।
अब इस आधारित तथा आपसी प्रसंविदा, जो कि इसके बाद समाविष्ट है, पर विचार कर दोनों पक्ष अनुबंध करने के लिए सहमत हैं तथा यह अनुबंध निम्न प्रावधानों के लिए साक्ष्य है।

1. कार्यक्षेत्र एवं शर्तें -

ई नीलामी दस्तावेजों के अनुसार।

2. सुरक्षा जमा -

ई नीलामी आमंत्रण सूचना में बोलीकर्ताओं के निर्देश की कंडिका '2.2' अनुसार।
रु0 _____ /- शब्दों में रूपये (_____)। बोलीकर्ता द्वारा निगम में जमा की गयी है।

सुरक्षा जमा की राशि ठेके की पूरी अवधि में निगम के पास जमा रहेगी एवं उस पर कोई ब्याज नहीं दिया जायेगा। ठेका सफलतापूर्वक सम्पादित करने पर यदि बोलीकर्ता से कोई

वसूली योग्य राशि शेष न हो तो गुण-दोष के आधार पर संपूर्ण अथवा आंशिक सुरक्षा राशि बोलीकर्ता को यथाशीघ्र ठेका समाप्ति के एक माह के अंदर वापस कर दी जाएगी अथवा संपूर्ण या आंशिक सुरक्षा राशि जप्त की जा सकेगी।

3. **आफर्ड मूल्य तथा अवधि** –निर्धारित अवधि तथा बोलीकर्ता द्वारा ऑफर्ड मूल्य इस ठेके का मूल तत्व होगा। ठेके की अवधि कार्य प्रारंभ करने की दिनांक ————— से पांच वर्ष अथवा दिनांक 31-3-2020 जो भी पूर्व हो, तक रहेगी। बोलीकर्ता को इस अवधि में उसके द्वारा ऑफर किया गया मूल्य निगम को अदा करना होगा।
4. निर्धारित मात्रा से कम मात्रा उठाने पर बोलीकर्ता को किसी प्रकार की छूट की पात्रता नहीं होगी।
5. बोलीकर्ता को निर्धारित मात्रा निर्धारित ठेका अवधि में ही उठानी होगी। यदि ठेका अवधि में बोलीकर्ता द्वारा निर्धारित संपूर्ण मात्रा बोलीकर्ता द्वारा उठाव एवं बिक्री नहीं की जाती है तब भी उक्त अनुबंधित मूल्य बोलीकर्ता को अनिवार्य रूप से निगम में जमा करना होगा।
6. उच्चतम बोलीकर्ता को आशय पत्र (Letter of Intent) जारी करने की दिनांक से 15 दिवस के अंदर निगम के साथ अनुबंध हस्ताक्षरित करना होगा तथा अनुबंध के पूर्व निम्न राशि/दस्तावेज निर्धारित अवधि में निगम में जमा करना अनिवार्य है। जिन दस्तावेजों की छायाप्रतियां दी जावें उन्हें मूल दस्तावेज दिखाकर स्वयं के हस्ताक्षर से प्रमाणित/सत्यापित करना होगा :-
 - (i) आनलाईन रजिस्ट्रेशन फीस जमा करने की आनलाईन रसीद।
 - (ii) आन लाइन NEFT/RTGS द्वारा अमानत राशि जमा करने की रसीद।
 - (iii) सुरक्षा राशि का मूल डिमांड ड्राफ्ट (अमानत राशि समायोजन उपरांत)
 - (iv) आयकर स्थायी खाता क्रमांक (PAN) की प्रति
 - (v) वाणिज्यिक सर्टीफिकेट क्रमांक (TIN) की प्रति। यह सर्टीफिकेट यदि उपलब्ध न हो तो अनुबंध के उपरांत वाणिज्यिक कर विभाग में पंजीयन कराकर एक माह में उपलब्ध कराना होगा।
 - (vi) बोलीकर्ता का पिछले तीन माहों का बैंक खाता विवरण
 - (vii) परिशिष्ट-2 के अनुसार खदानों के स्थल निरीक्षण संबंधी प्रमाण पत्र।
 - (viii) परिशिष्ट-3 के अनुसार वचन पत्र।
 - (ix) बोलीकर्ता के कॉस्टीट्यूशन संबंधी दस्तावेज की प्रति।
 - 1- व्यक्तिगत के लिये – शपथ पत्र (परिशिष्ट-7 में)
 - 2- साझेदारी फर्म – साझेदारी डीड,
 - 3- कंपनी के लिये – मेमोरण्डम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसियेशन
 - (x) वित्तीय वर्ष 2012-13 अथवा वित्तीय वर्ष 2013-14 के आयकर रिटर्न की प्रति।

- (xi) बोलीकर्ता व्यक्तियों/फर्म/कंपनियों के द्वारा उनके समस्त संचालकों का पूर्ण विवरण यथा— उनके नाम, पते, फोन नं०, मोबाईल नं०, फेक्स नं० एवं ई—मेल की जानकारी ।

7. अनुबंध के अंग –

- (i) ई—नीलामी सूचना (समाचार पत्रों में)
 - (ii) विस्तृत ई—नीलामी सूचना
 - (iii) बोलीकर्ताओं को निर्देश
 - (iv) ठेके की सामान्य शर्तें
 - (v) परिशिष्ट 1,2,3,4,5,6,7
 - (vi) अनुबंध का प्रारूप
 - (vii) बोलीकर्ता द्वारा उपरोक्त कंडिका—6 के अनुसार जमा दस्तावेजों की छायाप्रतियां।
8. बोलीकर्ता द्वारा आशय पत्र (LOI) जारी होने की दिनांक के 15 दिवस के अंदर ठेका अनुबंध पत्र भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 के अध्याधीन निष्पादित कराया जाकर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क अदाकर अनुबंध दस्तावेजों का पंजीयन भी स्वयं के व्यय पर कराया जाएगा।

9. अप्रत्याशित घटना या परिस्थिति (Force Majeure):-

यदि किसी अप्रत्याशित घटना या परिस्थिति (Force Majeure) जो बोलीकर्ता के नियंत्रण से परे हो तथा इस तथ्य के पर्याप्त प्रमाण हों कि बोलीकर्ता द्वारा ऐसी घटना या परिस्थिति के होते हुये भी उन्हें रोकने, हटाने या टालने के पर्याप्त प्रयास किये गये हों ताकि कार्य निरंतर चलता रहे, के कारण कार्य बाधित हो तो बाधित समयावधि तक बोलीकर्ता के सभी दायित्व स्थगित रखे जायेंगे। बोलीकर्ता ऐसी घटना या परिस्थिति की विस्तृत जानकारी उसके उत्पन्न होने के पूर्व या तुरंत पश्चात् जैसा भी संभव हो पर्याप्त साक्ष्य सहित निगम को देगा तथा कारण (अप्रत्याशित घटना या परिस्थिति) के समाप्त होने पर निगम को सूचित करते हुये कार्य पुनः प्रारंभ करेगा। निगम द्वारा वांछित तथा तदनुसार बोलीकर्ता द्वारा प्रस्तुत जानकारी, साक्ष्य तथा दस्तावेज के आधार पर प्रबंध संचालक द्वारा निर्णय लिया जायेगा जो अंतिम तथा बंधनकारी होगा।

यहाँ पर अप्रत्याशित घटना या परिस्थिति से अभिप्रेत है:- देवीय प्रकोप जैसे बाढ़, महामारी, भूकम्प तथा अकाल इत्यादि तथा अनपेक्षित घटना यथा आम हड़ताल, कर्फ्यू, उपद्रव, आगजनी, दंगा तथा शासन द्वारा लागू प्रतिबंधात्मक धारायें, नियम आदेश या उदघोषण में शासन द्वारा किया गया परिवर्तन आदि।

10 विवादों का निपटारा :-

निगम एवं बोलीकर्ता के मध्य निष्पादित अनुबंध से संबंधित किसी विवाद के निराकरण हेतु विवाद उत्पन्न होने के सात दिवसों के भीतर बोलीकर्ता द्वारा निगम के प्रबंध

संचालक को औपचारिक रूप से लिखित में विवाद का सारभूत अधिसूचित किया जावेगा। अधिसूचित करने के तीस दिवस के भीतर निगम के प्रबंध संचालक संबंधित पक्षों की सुनवाई कर इसका निराकरण कर सकेंगे। यदि निगम के प्रबंध संचालक 30 दिवस में उन्हें संदर्भित किये गये विवाद का समाधान करने में असमर्थ रहते हैं तब ऐसी स्थिति में या बोलीकर्ता प्रबंध संचालक द्वारा निर्णीत समाधान से संतुष्ट न हो तो आरबीट्रेशन एण्ड कन्सीलिएशन एक्ट 1996 के अंतर्गत संबंधित पक्षों द्वारा विवाद पंच निर्णय हेतु प्रस्तुत किया जावेगा एवं पंच द्वारा विधि सम्मत निर्णय दोनो पक्षों को मान्य होगा।

11. सभी वैधानिक विवाद भोपाल न्यायालय के अधीन होंगे।

प्रथम पृष्ठ पर उल्लेखित पक्षकारों द्वारा आज दिनांक.....माह वर्ष को हस्ताक्षरित ।

साक्षी -

हस्ताक्षर

01.

मुख्य महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा)
दि एम.पी. स्टेट माईनिंग कारपोरेशन लि0
दिनांक

02.

साक्षी -

हस्ताक्षर

01.

बोलीकर्ता
दिनांक

02